संविदाकार को किया गया जिसकी वसूली की जावे और परिषद निधि में जमा करवाया जावे। विवरण निम्न है:.

भुगतान किया

वाटरबाउंड मैकाडम सरफेसिंग	212.70 घ.मी. दर 10.80 रु प्रति 10 घ.मी.	= 229.70
ब्लैक टाप सरफेसिंग	719.50 व.मी. दर 6.55 "	= 471.30
	योग	= 701.00
	जमा 248 % प्रीमियम	1738.00
	योग	2439.00

देय राशि

वाटरबाउंड मैकाडम सरफेसिंग	147.90 दर 10.80 रु प्रति 10 व.मी.	= 159.70
ब्लैक टाप सरफेसिंग	784.30 दर 6.55 " "	= 513.70
	योग	= 673.40
	(+) 248 % प्रीमियम	= 1670.00
	योग	2343.40

अधिक भुगतान 2439 (-) 2343 रु = 96 रु.

(IV) संविदाकार से प्रतिभूति की कटौती 5% की दर से की गई जब कि 10% दर अपेक्षित थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(V) संविदाकार को 39 तारकोल के ड्रम जारी किये गये परन्तु खाली ड्रमों का इन्द्राज भंडारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया अतः 39 तारकोल के खाली ड्रमों की वसूली दर 70 रु प्रति ड्रम से कुल 2730 रु की सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली की जावे।

(VI). संविदाकार से आयकर की कटौती मु० 1945 रु 3313 रु और बिक्री कर की कटौती भी मु 1945 रु और 3313 रु की गई परन्तु इन को सम्बन्धित विभागों को भेजने का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे

वाउचर नं० 15 मास 4/95 राशि 29356 रु

ग)

मु० 29356 रु० का भुगतान श्री राजेश कुमार संविदाकार को दूसरा व अंतिम बिल निर्माण स्टरफेस नाली सैक्टर-1 परवाणु का किया गया इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई

i) श्री राजेश कुमार को 49% उपर मानक दर अनुसूची पर पर कार्य आवंटित किया गया था

ii) बिल से मु० 645 रु० आयकर और मु० 645 रु० बिक्री कर (सैल्स टैक्स) की कटौती संविदाकार के बिल से की गई थी परन्तु सम्बन्धित विभागों में राशि जमा करवाने का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

iii) संविदाकार से धरोहर राशि भी प्राप्त नहीं की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

iv) प्रतिभूति की कटौती 5% की दर से मु० 2130 रु० की गई थी जबकि 10% की दर से मु० 4260 रु० देय थी अतः 5% की दर से प्रतिभूति की कटौती करने को न्यायोचित ठहराया जाये।

v) प्रोवाइडिंग माइल्ड स्टील/टोर स्टील रिइन्फोर्समेंट फार आर० सी० सी० वर्क:—
संविदाकार को 2.20 क्विंटल सरिया का भुगतान दर 8.15 रु० प्रति किलोग्राम से मु० 2672 रु० का किया गया परन्तु 2.20 क्विंटल सरिया की माप पुस्तिका 12 पृष्ठ 92 पर विवरण नहीं दर्शाया गया था जिस कारण से इस भुगतान की जांच नहीं की जा सकी अतः अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

vi) नगर परिषद ने निर्माण कार्य का रजिस्टर भी नहीं लगाया गया था जिसे शीघ्र लगाया जाये।

वाउचर नं० 44 मास 3/98 राशि 34949 रू०

(घ)

मुबलिग 34949 रू० का भुगतान श्री फकेन्द्र सिंह संविदाकार को प्रथम व अंतिम बिल निर्माण डुंगा नजदीक स्ल० आईजी बेलाक चैक नं० 5352 द्वारा दिनांक 31.3.98 को किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

(i) नगर परिषद ने पत्र सं० स्न० पी०/ परवाणु - 247-249 दिनांक 31.3.98 द्वारा टैंडर आमंत्रित किये और टैंडर खोलने की तिथि 31.3.98 : थी। परन्तु टैंडर फार्मों पर टैंडर खोलने की तिथि अंकित नहीं थी। इस के अतिरिक्त श्री फकेन्द्र सिंह संविदाकार को पत्र सं० स्न० पी०। परवाणु - 585 दिनांक 30.4.98 को 148% ऊपर मानक दर अनुसूची पर कार्य आवंटित करने का आवर्ड पत्र जारी दर्शाया गया जबकि संविदाकार को भुगतान 31.3.98 को दर्शाया गया इस प्रकार आवर्ड पत्र कार्य समाप्त करने के उपरान्त जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिकता हेतु टैंडर। निविदाएं। आवर्ड पत्र इत्यादि जारी दर्शाए गए जिसे को न्यायोचित ठहराया जाये।

माप पुस्तिका नं० 13 पृष्ठ 49 से 51

(ii) मद नं० 11:3 : रैंडम रबल मैसनरी सीमेंट 1:6 में

गलत गणना के कारण मात्रा 40.80 घ० मी० का भुगतान किया जब की ठीक मात्रा 40.72 घ० मी० थी इस प्रकार 64 रू का अधिक भुगतान किया विवरण निम्न है इस की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाये।

भुगतान किया	40.80 घ० मी० दर 318.30 रू०	= 12987 रु
देय राशि	40.72 घ० मी० "	= 12961 रु
		26 रु
	अधिक	38 रु
	जमा 148% ठेकदार प्रीमियम	64 रु

(iii) नगर परिषद द्वारा सीमेंट ~~उपलब्ध~~ कम अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये

निम्न बिलों हेतु की गई:- ... 3-11.96 तक।

30) वाउचर नं० 43 मास 3/98 राशी 20,000
वाउचर नं० 46 मास 3/98 राशी 7745.00

कुल 27,745 रू० का भुगतान श्री सोनिक मेहता ठेकेदार को मु० 20,000 रू० अग्रिम राशी और 7745 रू० प्रथम चलत बिल के कुल 27,745 रू० बाबत निर्माण रास्ता और यु शेप नाली एल० आई० जी० बलाक सैक्टर 4 परवाणु का किया गया। इस में निम्न अनियमितताएं पाई गई:

i) निविदाएं। टैंडर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये
ii) श्री सोनिक मेहता को 125% उपर मानक दर अनुसूची 1987 पर कार्य आंवटित किया गया।

iii) मद नं० 7.10 :- ड्रैसिंग दा ग्राउंड : कुल मात्रा 372 व०मी० थी परन्तु गलत गणना के कारण 379 व०मी० का भुगतान किया गया इस प्रकार मु० 36 रू० का अधिक भुगतान किया गया जिस की वसुली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाये। विवरण निम्न है:-

भुगतान किया 379 व०मी० दर 2.20 रू० प्रति व०मी०		= 834 रू०
देय राशी 372 व०मी० दर " " "		= 818 रू०
	अधिक	16 रू०
	(+) जमा ठेकेदार का प्रीमियम 125%	20 रू०
	कुल अधिक भुगतान	36 रू०

(iv) अग्रिम राशी : हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 194 (3) के अनुसार किस नियम के अन्तर्गत अग्रिम राशी संविदाकार को दी गई किसे न्यायोचित ठहराया जाये।
(v) नगर परिषद द्वारा संविदाकार को सीमेंट अलाट न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।
(vi) संविदाकार से धरोहर राशी न प्राप्त करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

च) वाउचर नं० 47 माह 9/97 राशि 4400 रु
और वाउचर नं० 37 माह 10/97 राशि 8776.--

उपरोक्त राशियों का भुगतान श्री सुभाष कुमार ठेकेदार को प्रथम व अंतिम बिल जंगल की सफाई हेतु किया मु० 4400 रु० अग्रिम राशि दी गई थी जिसे न्यायोचित ठहराया जावे

(i) अधिक भुगतान मु० 52 रु०

मद नं० 7(i) (a) : क्लीरिंग जंगल अप रूटिंग आफ रैंक वेजीटेशन, ग्रास इत्यादि

गलत गणना के कारण 8963.75 व० मी० का भुगतान किया जाना की ठीक योग 8929.45 व० मी० था इस प्रकार 34.30 व० मी० का अधिक भुगतान मु० 52 रु किया गया विवरण निम्न है। इस राशि को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवायी जावे और इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

भुगतान किया	मात्रा 8963.75 व० मी० दर 0.55 रु प्रति मी०	4930 रु
देय राशि	मात्रा 8929.45 " " "	= 4911 रु
	अधिक भुगतान	19 रु
	(+) जमा ठेकेदार का प्रीमियम 173%	= 33
	कुल अधिक भुगतान	52 रु

(ii) निविदा/टैंडर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे।

वाउचर न० 2 माह 11/95 राशि 46177.०

(6) मु० 46177 रु० की निकाली चैक न० 3399 दिनांक 3-11.95 द्वारा निम्न बिलों हेतु की गई:-

इसमें मस्टरोल न० 558 अवधि 26.9.95 से 25-10.95 तक एक जमादार और 11 सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी की की निकासी की गई। अंकेक्षण में पाया गया कि मस्टरोल न० 558 मु० 14,511 रु० को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया था परन्तु श्री रमेश चंद पुत्र चतरू की दिनांक 28-9.95, 29.9.95 और 1-10.95 की अनुपस्थितियों को काट कर उपस्थिति दर्शायी गया इस प्रकार उपस्थितियां 22 से काट कर के 25 कर दी गई परन्तु इस कटिंगों को सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया। इस प्रकार मु० 137.25 रुका, दर 45.75 रु प्रति दिन की दर से अधिक भुगतान किया गया। जिसकी अब सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली कर के नगर परिषद निधि में शीघ्र जमा करवायी जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

भुगतान पर रैवन्यू टिकटें भी नहीं लगाई गई थी आवश्यक कार्यवाही की जाये।

वाउचर नं० 18 मास 9/97 राशि 18989

(i) मस्टरौल नं० 751 अवधि 26.7.97 से 25.8.97 (एकमेट 11 मजदूर)
मस्टरौल नं० 749 अवधि 26.7.97 से 25.8.97 (एक मिस्त्री एक मजदूर)

और वाउचर नं० 23 मास 9/97 राशि 2653
मस्टरौल नं० 746 अवधि 26.7.97 से 25.8.97 (एक चौकीदार कार्यालय)
मस्टरौल नं० 743 अवधि 26.7.97 से 25.8.97 (एक माली)

माप पुस्तिका नं० 8 पृष्ठ 67 से 70

उपरोक्त मस्टरौलों में निम्न अनियमितताएं पाई गई

(i) माप पुस्तिका 8 पृष्ठ 67 से 70 में दैनिक भोगी श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का विवरण दर्शाया इस में एक मजदूर को तीस दिन तक नगर पंचायत कार्यालय में चौकीदारी हेतु चार्ज किया गया दर 45.75 रु० से मु० 1373 रु० दर्शाया गया। परन्तु मस्टरौल नं० 746, एक चौकीदार कार्यालय हेतु अलग से जारी किया गया और श्री दलीप सिंह पुत्र श्री बीरबल को मुबलिग 1418 रु० का भुगतान वाउचर नं० 23 द्वारा किया गया। इस प्रकार मु० 1373 रु० जो 30 दिन के मस्टरौल द्वारा इसी कार्य हेतु चार्ज किया गया था औचित्य बताया जाये अथवा मु० 1373 रु० जो सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त चार्ज दर्शाया गया है उसकी वसूली कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये और इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(ii) मस्टरौल नं० 751 में चार बेलदार 30 दिन तक कुल 120 मैन डेज़ दर 45.75 रु० प्रतिदिन से मु० 5490 रु० बाबत घास उखाड़ने। स्लीप उठाने सैक्टर 5 पखवाड़ा हेतु दर्शाए गये जबकि मानक दर अनुसूची 1987 के आईटम 7.11(a) और 7.15 के अनुसार काम मापा गया था अतः इस की पैमाईश न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये और मु० 5490 रु० को न्यायोचित ठहराया जाये।

(iii) मस्टरौल को सम्बन्धित म्युनिसिपल इन्जीनियर द्वारा टैस्ट चैक नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अ) वाउचर नं० 13 माह 3/98 राशि 18401 रु

मस्टरौल नं० 803 और 806 अवधि 26.1.98 से 25.2.98

बावत मुरम्मत सड़क, नाली इत्यादि

उपरोक्त मस्टरौल में निम्न अनियमिततायें पाई गई

(i) माप पुस्तिका में विभाग द्वारा करवाये गये कार्य को म्युनिसिपल इन्जीनियर द्वारा टैस्ट चैक नहीं किया गया था।

(ii) माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 39 पर 75 दिन दर 45.75 रु प्रतिदिन से श्रमिकों द्वारा नगर परिषद कार्यालय को सफेदी इत्यादि किया दर्शाया गया और कु० 3431 रु इस कार्य हेतु व्यय किये परन्तु माप पुस्तिका में श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य की पैमाइश नहीं दर्शाई गई जबकि मानक दर अनुसूची के अनुसार यह कार्य माप योग्य है अत: 3431 रु० के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये।

(iii) माप पुस्तिका 14 पृष्ठ 39 पर सीमेंट 19 बैग, रेत 1.32 घ० फु०, बजरी 2.50 घ० फुट पत्थर 12.40 घ० फुट पैंट 15 लीटर प्राईमर 12 लीटर की खपत दर्शाई गई परन्तु माप पुस्तिका में एम० एण्ड एस० रजिस्टर का कोई हवाला नहीं दिया गया और न ही मस्टरौल के साथ खपत विवरणिका दर्शाई गई। अत: आवश्यक कार्यवाही करके इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये

आ) वाउचर नं० 1 माह 3/98 राशि 9198 रु

कु० 9198 रु का भुगतान श्री फकिर सिंह ठेकेदार को प्रथम व अंतिम बिल बावत विशेष मुरम्मत मेन सिविल लाईन्स हैडर 1 पर तालाब का किया गया। इस में निम्न अनियमिततायें पाई गई

i) वर्क आर्डर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

ii) 2% की दर से कु० 188 रु० आय कर की कटौती की गई परन्तु इस का विभाग को भुगतान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया

ट) वाउचर नं० 13 मास 10/97 राशि 3485.40 रु

मस्ट्रौल नं० 758 अवधि 26.8.97 से 25.9.97

4 न० सफाई कर्मचारी दर 1350 रु० प्रति माह पर

अधिक भुगतान मु० 45 रु०

1) श्री देवीदास पुत्र श्री दुर्गादास ने अवधि 26.8.97 से 25.9.97 तक 31 दिन उपस्थित रहा और उसे मु० 1350 रु० का भुगतान अपेक्षित था जब कि उसे मु० 1395 रु० का भुगतान किया गया इस प्रकार मु० 45 रु० का अधिक भुगतान किया गया इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये अन्यथा दोषी कर्मचारी से वसूल कर के पारषद निधि में शीघ्र जमा करवायी जाये और इस की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

ठ) ठेकेदारों को अग्रिम राशि – निर्माण कार्य

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकांउट कोड, 1975 के नियम 19(3) अनुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम राशि देय नहीं थी परन्तु नियमों का उल्लंघन करके ठेकेदारों को निर्माण कार्य करने के लिए अग्रिम राशियां दी गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है जिसको न्यायोचित ठहराया जावे। और भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

वाउचर न०	मास	राशि रु०	टिप्पणी
15	3/98	8637.00	पुरतन सौलिक मेहता निर्माण रास्ता सैक्टर III परवाणू
36	3/98	12000	– यथोपरि – निर्माण रास्ता सैक्टर-1
37	3/98	20,000.-	– यथोपरि – निर्माण गारबेज़ डंपिंग साईट सैक्टर-5 परवाणू
43	3/98	20,000	– यथोपरि – निर्माण रास्ता सैक्टर-4

ii) अग्रिम राशियों का माप पुस्तिकों में भी इन्द्राज नहीं किया गया था। अग्रिम राशियों का माप पुस्तिकों में भी इन्द्राज किया जाये और अग्रिम समायोजित करके अगले अंकेक्षण में दिखाये जाये। अग्रिम राशियों का इन्द्राज अग्रिम रजिस्टर में भी किया गया था

5) विभागीय निर्माण / मुरम्मत कार्य

नगर परिषद् परवाणु ने हि० प्र० म्युनिसीपल एकांऊटकोड 1975 के नियम 197(1) के अनुसार दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को मैस्ट्रोल पर नियुक्त करके निर्माण / मुरम्मत कार्य करवाये गये।

2) नियम 197 के पैरा 8 के अनुसार मैस्ट्रोल के भाग III में यदि लेबर द्वारा किये गये कार्य माप योग्य हो तो उसका विवरण आपेक्षित है, यदि कार्य माप योग्य न हो तो उसका इस बारे प्रमाणित करना भी आपेक्षित है।

3) नियम 198 के अनुसार जो भी विभागीय कार्य कार्यान्वित किया जायेगा उसका इन्द्राज माप-पुस्तिका में करना आपेक्षित है और उसका समय-2 पर म्युनिसीपल अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक करना आपेक्षित है। कोई भी भुगतान माप पुस्तिका में इन्द्राज किये बैगर न्यायसंगत नहीं है।

4) अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् परवाणु ने दैनिक वेतन भोगी श्रमिको की मैस्ट्रोलो पर विभागीय कार्य हेतू नियुक्ति की और मैस्ट्रोलो का भुगतान भी किया गया परन्तु मैस्ट्रोल के भाग III पर श्रमिको द्वारा किये गये कार्य का विवरण नहीं दिया गया और न ही मैस्ट्रोल के भाग III पर माप पुस्तिका का इस सन्दर्भ में पृष्ठ संख्या अंकित थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपरिषद् परवाणु ने निम्न मैस्ट्रोलो का श्रमिको को भुगतान बिना माप के और बिना माप पुस्तिका के इन्द्राज के किये गये। इन भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये, अन्यथा इन भुगतानो की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये, अन्यथा सम्बन्धित दोषी अधिकारी / कर्मचारी से वसूली करके परिषद् निधि में जमा करवायी जाये।

…	संख्या	मैस्ट्रोल किस कार्य हेतु जारी किया गया।	वा० सं०	अदायगी विवरण दिनांक	अदायगी विवरण राशि	टिप्पणी
… से 25 5/95	एक मेट 12 मजदूर	मुरम्मत व निर्माण, विभिन्न कार्य हेतु।	6	6/95	7774-00	माप पुस्तिका का कोई वर्णन नही
… से 25 5/95	1 मिस्त्री 1 मजदूर	—— यथोपरि ——	6	6/95	1943-00	—— यथोपरि ——
… से 25 6/95	1 मिस्त्री 1 मजदूर	—— यथोपरि ——	107 NRY	7/95	9008-00	—— यथोपरि ——
… से 25 7/95	1 मेट 11 मजदूर	—— यथोपरि ——	3	8/95	9072-00	—— यथोपरि ——
… से 25 7/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	3	8/95	2910-00	—— यथोपरि ——
… से 25 9/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	18	9/95	17429-00	—— यथोपरि ——
… से 25 9/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	18	9/95	3580-00	—— यथोपरि ——
… से 25 10/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	2	11/95	16241-00	—— यथोपरि ——
… से 25 10/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	2	11/95	3373-00	—— यथोपरि ——
… से 25 11/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	1	12/95	15761-00	—— यथोपरि ——
… से 25 11/95	1 मिस्त्री 2 मजदूर	—— यथोपरि ——	1	12/95	4209-00	—— यथोपरि ——

11/95 से 25 12/95	1 मेट 12 बेलदार	मुरम्मत व निर्माण विभिन्न कार्य हेतु।	2	1/96	17161-00	माप पुस्तिका का कोई वर्णन नहीं
11/95 से 25 12/95	1 मिस्त्री 1 मजदूर	—— यथोपरि ——	2	1/96	3112-00	—— यथोपरि ——
12/95 से 25 1/96	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	6	2/96	17338-00	—— यथोपरि ——
12/95 से 25 1/96	1 मिस्त्री 1 मजदूर	—— यथोपरि ——	6	2/96	3214-00	—— यथोपरि ——
9/96 से 25 10/96	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	2	11/96	17155-00	—— यथोपरि ——
9/96 से 25 10/96	1 मिस्त्री 1 मजदूर	—— यथोपरि ——	2	11/96	2996-00	—— यथोपरि ——
10/96 से 25 11/96	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	12/96	17706-00	—— यथोपरि ——
10/96 से 25 11/96	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	12/96	3020-00	—— यथोपरि ——
11/96 से 25 12/96	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	1/97	16,038-00	—— यथोपरि ——
11/96 से 25 12/96	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	1/97	2996-00	—— यथोपरि ——
12/96 से 25 1/97	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	2/97	17933-00	—— यथोपरि ——
12/96 से 25 1/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	1	2/97	3214-00	—— यथोपरि ——

ASSISTANT CONTROLLER AUDIT

से 3 2/97	1 मेट 11 बेलदार	मुरम्मत व निर्माण विभिन्न कार्य हेतु।	30	3/97	4875-00	माप पुस्तिका का कोई वर्णन नहीं
से 25 2/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	33	3/97	3214-00	—— यथोपरि ——
से 25 2/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	35	3/97	6177-00	—— यथोपरि ——
से 25 6/97	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	28	7/97	15926-00	—— यथोपरि ——
से 25 6/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	28	7/97	3550-00	—— यथोपरि ——
से 25 7/97	1 मेट 12 बेलदार	—— यथोपरि ——	28	8/97	14940-00	—— यथोपरि ——
से 25 7/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	28	8/97	2962-00	—— यथोपरि ——
से 25 7/97	1 मेट 11 बेलदार	—— यथोपरि ——	16	10/97	15073-00	—— यथोपरि ——
से 25 9/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	16	10/97	2745-00	—— यथोपरि ——
से 25 10/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	53	10/97	3112-00	—— यथोपरि ——
से 25 10/97	1 मेट 11 बेलदार	—— यथोपरि ——	53	10/97	15514-00	—— यथोपरि ——
से 25 11/97	1 मेट 11 बेलदार	—— यथोपरि ——	20	12/97	14322-00	—— यथोपरि ——
से 25 11/97	1 मिस्त्री 1 बेलदार	—— यथोपरि ——	20	12/97	3008-00	—— यथोपरि ——

माप पुस्तिका [illegible]

ASSISTANT CONTROLLER AUDIT

एम० ए० एस० रजिस्टर

97 नगर परिषद के एम० ए० एस० रजिस्टर का अवलोकन करते समय निम्न अनियमिततायें पाई गई।

क) i) **1425 घन फुट बजरी की कमी मूल्य 9968 रु**

एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 28

नगर परिषद के एम० ए० एस रजिस्टर पृष्ठ 27 के अनुसार 1582 घन फुट बजरी शेष थी परन्तु पृष्ठ 28 पर केवल 158 घन फुट बजरी ही आगे उठाई गई इस प्रकार 1424 घन फुट बजरी आगे कम उठाई गई और 1425 घन फुट बजरी की कोई खपत भी एम० ए० एस रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई इसलिये 1425 घन फुट बजरी का मूल्य दर 7 रु० प्रति घन फुट से मुबलिग 9968 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवायी जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

एम० ए० एस० रजिस्टर को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया था अतः आवश्यक सत्यापन नियमानु-सार करवाया जावे।

(ii) **113 घन फुट बजरी की कमी मूल्य 791 रु**

माप पुस्तिका 8 पृष्ठ 53 के अनुसार बावत निर्माण नाली सैक्टर-1 परवाणु के अनुसार 45 घन फुट बजरी की खपत दर्शाई गई जो एम० ए० एस रजिस्टर पृष्ठ 28 पर 45 घन फुट बजरी जारी की गई थी।

एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 28 पर शेष बजरी 158 घन फुट थी ... इस प्रकार अब 113 घन फुट बजरी शेष रहनी चाहिए थी परन्तु एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 28 पर शेष मूल्य दर्शाया गया इस प्रकार 113 घन फुट बजरी स्टाक में कम पाई गई। इसलिये 113 घन फुट बजरी का मूल्य दर 7 रु० प्रति घन से मु० 791 रु० की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

ख) स्टोन बेयर पाइप एस० डब्लयू 150 एम.एम.
कमी 130 नग पाइप मु० 5339 रु०
एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 25

नगर परिषद के एम० ए० एस० रजिस्टर 25 के अनुसार स्टोन बेयर पाइप 150 एम०एम० के 180 नग बकाया थे। माप पुस्तिका 12 पृष्ठ 98 के अनुसार 16 नग स्टोन वेयर पाइप की खपत बाबत निर्माण सीवरेज लाइन नजदीक काली माता मंदिर हेतु दर्शाई गई इस प्रकार अब शेष 164 एस० वेयर पाइप होने चाहिये थे परन्तु एम० एस० रजिस्टर पृष्ठ 25 पर बकाया 34 नग ही दर्शाए गए इस प्रकार 130 नग स्टोन वेयर पाइप एम० ए० एस० में कम दर्शाए गए और न ही 130 नग स्टोन वेयर पाइप की खपत दर्शाई गई। अत: 130 नग स्टोन वेयर पाइप का मूल्य दर 37 रु० प्रति पाइप जमा सेल्स टैक्स इत्यादि मु० 5339 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(130 दर 37 रु० 4810 + 529 S.T. = 5339 रु०)

ग) तारकोल के 10 ड्रमों का एम० ए० एस० में इन्द्राज नहीं

नगर परिषद के भंडारण रजिस्टर के पृष्ठ 4 से दिनांक 8.7.97 को श्री बी० एस० ठाकुर क० अभियन्ता को 10 तारकोल के ड्रम विभिन्न कार्यों हेतु जारी किये परन्तु एम० ए० एस० रजिस्टर में इसका इन्द्राज नहीं दर्शाया गया अत: 10 तारकोल के ड्रमों की प्रविष्टि एम० ए० एस० रजिस्टर में दिखाई जाये अन्यथा 10 तारकोल के ड्रमों का मूल्य दर 1390 रु० प्रति ड्रम जमा सेल्स टैक्स इत्यादि मु० 15462 रु० की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

घ) तारकोल जारी करना

नगरपरिषद परवाणु के एम० ऐ० एस० रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि नगरपरिषद ने विभिन्न परिषद कार्यों हेतु श्री वी० एस० ठाकुर, क० अभियन्ता को तारकोल के ड्रम जारी किये गये। जिसका विवरण निम्न दर्शाया गया है। परन्तु इन तारकोल के ड्रमों का निपटारा व तारकोल के खाली ड्रमों की वापसी भण्डारण रजि० मे नही दिखाई गई, जिसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

विवरण

दिनांक	तारकोल के ड्रम जारी	स्टाक रजि० पृ० सं०	MAS पृ० सं०
28-11-94	50	3	22
18-02-95	2	3	24
14-3-95	80	3	24
7-3-95	20	—	24
12-6-95	30	3	25
15-5-96	64	4	30
20-2-97	20	4	32
8-2-97	20	—	32
12-3-97	70	4	33
8-7-97	10	4	—

वाऊचर न० 6 मास 2/98 व लिपिक

	रु०
असंशोधित वेतन दि० 1-9-97 से	1550-00
संशोधित वेतन दि० 1-9-97 को	5160-0
असंशोधित वेतन पर आवास भत्ता देय	78-(
संशोधित वेतन पर आवास भत्ते का भुगतान	258-(
अधिक भुगतान	180-(
मास 7/97 से 10/97 तक अधिक भुगतान	360

1-00
1-00
1-00
1-00
1-00
2-00

(500 + 274) - 774.00 रु०

ii) मास 11/97 मे वेतन	5320-00
आवास भत्ता देय	80-00
भुगतान किया	266-00
अधिक भुगतान	186-00
मास 1/11/97 से 28/2/98 तक अधिक भुगतान	744-00
	1104-00

कुल अधिक भुगतान
(360+744) 1104.00 रु.

iii) वाऊचर नं० 49 मास 2/98 आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर नं० 13 मास 2/98 भुगतान, श्री वी० एस० ठाकुर
वाऊचर नं० 6 मास 3/98 क० अभियन्ता

असंशोधित वेतन दि० 1-9-97	2000-00
संशोधित वेतन दि० 1-9-97 को	6400-00
आवास भत्ता देय (संशोधित वेतन पर)	100-00
आवास भत्ते का भुगतान (संशोधित वेतन पर) किया	320-00
अधिक भुगतान	220-00
मास 9/97 से 2/98 तक अधिक भुगतान (दर 220 रु० प्रति माह)	1320-00

iii) वाऊचर नं० 49 मास 2/98 आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर नं० 13 मास 2/98 भुगतान, श्री पुरुषोत्तम सिंह
वाऊचर नं० 6 मास 3/98 लिपिक

असंशोधित वेतन दि० 1-9-97	1280-00
संशोधित वेतन दि० 1-9-96 को	4260-00
संशोधित वेतन पर आवास भत्ता देय	64-00
संशोधित वेतन पर आवास भत्ते का भुगतान	213-00
अधिक भुगतान	149-00
मास 9/97 से 2/98 तक अधिक भुगतान (दर 149 रु० प्रति माह)	894-00

iv) वाऊचर नं० 49 मास 2/98 आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर नं० 13 मास 2/98 भुगतान, श्री सुधीर शर्मा
वाऊचर नं० 6 मास 3/98 कार्य पर्यवेक्षक

असंशोधित वेतन दि० 1-9-97	1280-00
संशोधित वेतन दिनांक 1-9-97	4140-00
संशोधित वेतन पर आवास भत्ता देय	64-00
संशोधित वेतन पर आवास भत्ते का भुगतान	207-00
अधिक भुगतान	143-00
मास 9/97 से 11/97 तक अधिक भुगतान (दर 143 रु० प्रति माह)	429-00

(500+274) 774.00 रु०

असंशोधित वेतन दि० 1-12-97	1320-00
संशोधित वेतन	4260-00
संशोधित वेतन पर देय आवास भत्ता	66-00
भुगतान	213-00
अधिक भुगतान	147-00
मास 12/97 से 2/98 तक अधिक भुगतान (दर 147 रु० प्रतिमास)	441-00
कुल अधिक भुगतान	870-00

(429 + 441) = 870 रु०.

(ii) वाऊचर न० 49 मास 2/98 आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर न० 13 मास 2/98 भुगतान, श्री राजेश कुमार,
वाऊचर न० 6 मास 3/98 चपड़ासी

असंशोधित वेतन दि० 1-9-97	960-00
संशोधित वेतन	3120-00
आवास भत्ता देय संशोधित वेतन पर	48-00
भुगतान	156-00
अधिक भुगतान	108-00
मास 9/97 से 2/98 तक अधिक भुगतान (दर 108 रु० प्रतिमास)	648-00

(iii) वाऊचर न० 49 मास 2/98 आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर न० 13 मास 2/98 भुगतान, श्रीमति निर्मला
वाऊचर न० 6 मास 3/98 भारद्वाज, लिपिक

असंशोधित वेतनमान 1-9-97	1165-00
संशोधित वेतनमान	3660-00
आवास भत्ता देय	58-00
भुगतान	183-00
अधिक भुगतान	125-00
मास 9/97 से 12/97 तक अधिक भुगतान (दर 125 रु० प्रतिमास)	500-00
असंशोधित वेतनमान दि० 1-1-98	1165-00
संशोधित वेतनमान	3900-00
आवास भत्ता देय	58-00
भुगतान	195-00
अधिक भुगतान	137-00
मास 1/98 से 2/98 तक अधिक भुगतान (दर 137 रु० प्रति मास)	274-00
कुल अधिक भुगतान	774-00

(500 + 274) = 774-00 रु०

(iii)

वाऊचर नं०	49	मास	2/98	आवास भत्ते का अधिक
वाऊचर नं०	13	मास	2/98	भुगतान श्री एम० एल०
वाऊचर नं०	6	मास	3/98	अन्सारी, सचिव

असंशोधित वेतनमान 1/1/98	2625-00
संशोधित वेतनमान	8375-00
संशोधित वेतन पर आवास भत्ता देय	131-00
आवास भत्ता भुगतान	419-00
अधिक भुगतान	288-00
मास 1/98 से 2/98 तक अधिक भुगतान दर 288 रू० प्रति मास	576-00

कुल अधिक भुगतान (870+648+774+1104+1320 +894+576) 6126-00

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० फिन-सी-बी (7)-11/98 दि० 8-12-99 अनुसार संशोधित वेतनमान पर देय मकान किराया भत्ता 1-9-99 है। अतः नगर परिषद द्वारा 8/98 से 8/99 तक अनियमित तौर पर जो मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया है की गणना विभागीय तौर पर करके शीघ्र वसूली की जाये। वसूली के विवरण इस निदेशालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

नगरपालिका वाचनालय :

(क) नगर परिषद परबतसर का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगर परिषद ने नगरपालिका वाचनालय हेतु प्रति वर्ष लगभग 6-7 समाचार पत्र और मैगजीनों का भुगतान किया परन्तु वाचनालय आगुन्तुक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया जिस से यह सुनिश्चित किया जावे कि इन समाचार पत्रों का उपयोग वास्तव में नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है। अतः कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन समाचार पत्रों / मैगजीनों का उपयोग नगरपालिका वाचनालय हेतु और नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है अन्यथा इन 6-7 समाचार पत्रों का प्रतिदिन क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे। अगर नगरपरिषद ने वाचनालय बंद कर दिया है तो समाचार पत्रों का क्रय करने को न्यायोचित ठहराया जावे।

(i) नगर परिषद द्वारा अवधि 1-4-95 से 31-3-98 तक के समाचार पत्रों की रद्दी का निपटारा / बोली द्वारा विक्रय किया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे

(ख) वाउचर नं० 12 माह 4/95 राशि 948 रु०

मुबलिग 948 रु० का भुगतान मै० बंधु न्यूज एजेंसी परबतसर को बाबत सप्लाई समाचार पत्रों और मैगजीन माह 3/95 का किया गया इस में निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

(i) समाचार पत्र प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ 13 पर माह 3/95 में दी ट्रिब्यून की 28 प्रतियाँ प्राप्त की परन्तु भुगतान 30 प्रतियों का किया गया इस प्रकार 2 प्रतियों का कुल 4 रु० की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जावे।

(ii) [illegible] की 6 प्रतियाँ प्राप्त की परन्तु भुगतान 30 प्रतियों का किया गया इस प्रकार 24 प्रतियों के अधिक भुगतान को [illegible] 48 रु० की वसूली कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाया जावे।

(iii) क्रयकीत 'आरोग्य अवेतस्वर' मु० 15 रु० को क्रय किया गया परन्तु उस का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया अत: इस के मूल्य की प्रति पूर्ति सम्बन्धित दोषी कर्मचारी द्वारा की जाये।

ग) वाउचर न० 5 मास 3/96 राशि 858.4

मुबलिग 858 रु० का भुगतान मै० बॉंधु न्यूज कारनर परवाणु बाबत सप्लाई समाचार पत्रों का किया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि इस बिल में से मु० 220 रु० का भुगतान बाबत सप्लाई समाचार पत्र, जनसत्ता, पंजाब केसरी, ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस बिल न० 1055 द्वारा प्रधान नगर परिषद के घर हेतु का किया गया।. . . और मु० 638 रु० का भुगतान समाचार पत्रों नगर पालिका वाचनालय का किया गया। अत: नगर परिषद निधि से चार समाचार पत्रों जो प्रधान नगर परिषद के घर सप्लाई किये को न्यायोचित ठहराया अन्यथा इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

घ) वाउचर न० 12 मास 7/96 राशि 989 रु०

(i) मु० 852 रु० का भुगतान मै० बंधु न्यूज कोरनर परवाणु को बाबत सप्लाई समाचार पत्र मास 6/96 का किया गया। बिल 1644 द्वारा वीर प्रताप का भुगतान 30 समाचार पत्रों का किया गया जब कि प्राप्त केवल 27 प्रतियां हुई इस प्रकार 6 रु० का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली की जाये।

(ii) मास 6/96 में बिल न० 1645 मु० 265 रु० द्वारा 4 समाचार पत्र सहायक, कोषा परवाणु, C आहरण एवं वितरण अधिकारी। के घर हेतु भुगतान किये जिनको परिषद निधि से न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस की वसूली की जाये।

वाउचर न० 45 मार्च 3/97 राशि 60.00 रु

(ड) कुल 60 रु० का भुगतान मै० मार्की पब्लीसिटी सेंटर कालका को बाबत सार्वजनिक अपील समाचार का किया गया परन्तु बिल पर पत्र, संख्या-26 ए का था। इसे प्रकार यह बिल नगर पंचायत। परिषद द्वारा देय नहीं था अतः इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत। परिषद निधि में जमा करवाया जाये।

वाउचर न० 39 मार्च 3/97 राशि 1015 रु

(च) कुल 1015 रु का भुगतान मै० बंधु न्यूज कोर्नर कालका को बाबत सप्लाई समाचार पत्रों का किया इसमें निम्न अनियमिततायें पाई गईं।

(i) नगर परिषद ने नगर पालिका वाचनालय हेतु 7 समाचार पत्रों का भुगतान (कुल 605 रु) मार्च 3/97 का किया परन्तु वाचनालय में आने वाले व्यक्तियों का कोई रजिस्टर नहीं दिखाया अतः समाचार पत्रों की अधिक मात्रा में क्रय [illegible] अनियमित ठहराया जाये और यह भी देखा गया कि अभी नगर परिषद का वाचनालय हेतु कोई कमरा आवंटित नहीं था।

(ii) बिल न० 2339 द्वारा नगर परिषद ने प्रधान नगर पंचायत के 6 समाचार पत्रों के बिल का कुल 399 रु का [illegible] का भुगतान किया जिसको अनियमित ठहराये जाये।

(iii) इसके अतिरिक्त नगर परिषद ने नगर परिषद निधि से मार्च 3/97 में बिल न० 2341 द्वारा कुल 213 रु का भुगतान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद (अहिंसा एवं विकास अधिकारी) का किया जिसे भी अनियमित ठहराये जाने हेतु प्रकार नगर परिषद निधि से उपरोक्त व्यय को अनियमित ठहराया जाये।

बिल न० 2340 में मार्च 3/97 में दी ट्रिब्यून की 31 प्रतियों का कुल 96 रु का भुगतान किया जबकि केवल 28 प्रतियां प्राप्त की और रेट राशि 96 रु की 3 रु का अधिक भुगतान किया जिस की वसूली की जाये।

वाउचर नं० 44 माह 9/97 राशि 903 रु०

(ङ) और वाउचर नं० 36 माह 10/97 राशि 717 रु

उपरोक्त राशियों का भुगतान मै० वैष्णू न्यूज़ कॉरनर कोलवा को बाबत सप्लाई समाचार पत्रों का किया गया विवरण निम्न है

1) वाचनालय हेतु माह 9/97 में 7 अखबार माह 9/97 में 7 अखबार
2) पुस्तकालय परिषद माह 9/97 में 3 अखबार माह 9/97 3 "
3) कार्यकारी अधिकारी माह 9/97 में 4 अखबार माह 9/97 4 "

इस प्रकार नगर पंचायत निधि से अखबारों के क्रय पर अधिक व्यय (प्रतिमाह) को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से कर के नगर परिषद निधि में जमा करवायी जाये।

(च) वाचनालय की अखबारों की रद्दी

नगर परिषद द्वारा नगर परिषद वाचनालय हेतु [illegible] अखबार प्रतिदिन मंगवाये जाते थे परन्तु अवधि 4/95 से 3/98 में केवल 210 कि० ग्रा० रद्दी का ही विक्रय रसीद सं० 52/69 दिनांक 1/97 दर 3.75 रु० प्रति कि० ग्रा० से कुल 787 रु दर्शाई गई: , जो कि बहुत कम प्रतीत होती है। अत: कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करे की रद्दी को इकट्ठी कर के विक्रय की जावे और इस का दुरुपयोग न किया जावे।

18. क) भवन निर्माण नक्शा शुल्क

नगर परिषद परवाणु ने दिनांक 11-4-94 को प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा भवन निर्माण नक्शा पारित करने हेतु निम्न शुल्क अधिरोपित किया।

रिहायशी मकान
ई० डब्लू० एस० 200/-
एल० आई० जी० 300/-
एम० आई० जी० 400/-
एच० आई० जी० 500/-

औद्योगिक निर्माण
500 वर्ग मी० 1000/-
500 से 1000 वर्गमी० 1500/-
1000 से 2000 " " 2000/-
2000 से 3000 " " 3000/-
3000 से ऊपर 5000/-

अंकेक्षण में भवन निर्माण नक्शा पारित रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि नगरपरिषद द्वारा निम्न भवन निर्माण हेतु नक्शे पारित किये गये, परन्तु नगरपरिषद द्वारा प्राप्त शुल्क का विवरण सम्बन्धित रजिस्टर में वर्णित नहीं था, जिस कारण से भवन निर्माण नक्शा शुल्क की प्राप्ति/वसूली की पूर्णतया जाँच नहीं की जा सकी। इस बारे में कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु को अंकेक्षण अधियाचना सं० 516 दिनांक 12-6-2001 द्वारा अनुरोध किया गया कि भवन निर्माण नक्शा पारित के शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे, परन्तु अंकेक्षण पूर्ण होने तक कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगरपरिषद द्वारा पारित भवन निर्माण से शुल्क की वसूली का पूर्ण विवरण सम्बन्धित रजिस्टर में दिया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे। जिसके उदाहरण निम्न है।

नाम एवं पता	केस सं०
1. श्री गुप्ता मैग्नीटेक डिवासिस (प्रा०) लि० प्लाट सं० 20A, sec-11, परवाणु	26
2. श्री राधा रमन शास्त्री प्लाट सं० 15, sec-11, परवाणु	27.
3. मै० इण्डस्ट्रीयल प्लाट सं० 36, sec-5, परवाणु	28.
4. श्रीमति दत्ता मित्रा LIG-73, sec-1, परवाणु	29.
5. मै० इण्डो स्विफ्ट प्लाट सं० 23, sec-2, परवाणु	30.
6. श्री राधा कृष्ण, जोगिन्द्र प्रसाद sec-1, परवाणु	31.
7. मै० प्रभु इलैक्ट्रानिक प्लाट सं० 21, sec-4, परवाणु	32.
8. श्री राजीव सूद HIG-52, sec-4, परवाणु	33.
9. श्रीमति कृष्णा देवी MIG, प्लाट सं० 135, sec-4, परवाणु	34.
10. श्री कृष्ण कुमार बत्तरा LIG, प्लाट नं० 106, sec-1, परवाणु	35.
11. मै० जैनरिअल इण्डिया लि० प्लाट सं० 5, sec-1 परवाणु	36.
12. मै० इण्डियन आयल कार्पो० लि० स्टोर नं० 2, परवाणु	37.
13. श्री हमीन्द्र सिंह MIG-106, sec-4, परवाणु	38.

14. श्री आर० के० शर्मा — 38
प्लाट नं० MIG-21 sec-4, परवाणु

15. मै० प्रोकूलेटर इण्डिया लि० — 40
MIG, Flat 29 & 30, परवाणु

16. —— यथोपरि —— — 41.
MIG, Flat 25 & 26, परवाणु

17. —— यथोपरि —— — 42
MIG, Flat 27 & 28,
sec-1, परवाणु

18. श्री हमेन्द्र सिंह — 43
MIG Flat No. 106, sec-4
परवाणु

19. श्री गुप्त प्रभु इलैक्ट्रानिक — 45
Plot नं० 40, sec-2, परवाणु

20. श्री शशी कुमार, प्लाट नं० 162 — 46.
sec-4, परवाणु

21. श्रीमति संतोष कुथमाला — 48.
MIG-101, sec-1 परवाणु

22. श्री दीनदयाल कुथमाला — 49.
MIG-102, sec-1, परवाणु

23. श्री यशपाल कोहली — 50.
LIG-126, sec-1, परवाणु

24. मै० आनन्द फर्नीचर — 51
प्लाट सं० 42 A, sec-2, परवाणु

25. श्री मोहन चौहान — 55
प्लाट सं० 20 C sec-1A
परवाणु

26. मै० पी० वी० इलैक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि० — 57.
प्लाट सं० 82-A, sec-1, परवाणु

27. मै० हिन्दुस्तान कैरियर — 58.
प्लाट सं० 7A sec-2, परवाणु

28.	श्री ठाकुर दास शर्मा. EWS प्लाट सं० 31, sec-4 परवाणू	60
29.	MIG प्लाट सं० 157 & 158 sec-4, परवाणू	62
30.	मै० मोरपन लैब लि० प्लाट सं० 12 B, sec-2, परवाणू	63.

16	3/98	17,000.0	—— यथोपरि ——
17	9/96	3000.00	श्री [illegible] अधिवक्ता को [illegible]
25	12/96	2550.	— यथोपरि ——
26	3/97	3655.00	—— यथोपरि ——
11	7/96	1250.00	भुगतान श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता [illegible]
12	7/96	1500.00	भुगतान श्री [illegible] अधिवक्ता बाबत [illegible] माह 6/96 परन्तु [illegible] [illegible]

सूट/केस रजिस्टर न बनाना

3) हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 940 के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत/परिषद फार्म जी-32 पर सूट/केस रजिस्टर दो भागों में एक जो कमेटी के विरुद्ध केस दर्ज है और दूसरे भाग में कमेटी द्वारा दर्ज किये गये केस और प्रत्येक केस का पूरा व्यय का लेखा जोखा फार्म जी-32 पर रखा जायेगा परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद ने सूट/केस रजिस्टर नहीं बनाया जिस कारण से परिषद द्वारा किये गए व्यय की पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी। अतः नियमानुसार रजिस्टर तैयार किया जाये और आगामी अंकेक्षणों में दिखाया जाये। नगर परिषद द्वारा किए गये व्यय के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

वाउचर नं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
2	9/96	3000.0	भुगतान श्री आर.के. गौतम अधिवक्ता हाईकोर्ट शिमला
19	10/96	3000.0	यथोपरि
16	3/98	17,000.0	यथोपरि
17	9/96	3000.0	श्री [illegible] अधिवक्ता को भुगतान व्यय
25	12/96	2550.0	यथोपरि
26	3/97	3655.0	यथोपरि
11	7/96	1250.0	भुगतान श्री ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता सोलन
12	7/96	1500.0	भुगतान श्री मनोट अधिवक्ता बाबत [illegible] केस 6/96 परन्तु नियुक्ति आदेश उपलब्ध नहीं करवाये।

म्युनिसिपल प्रोविडेंट फंड अकाउंट :

39\. (क) हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 218 के अनुसार प्रत्येक कमेटी एक म्युनिसिपल प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सेविंग बैंक डाकघर। बैंक में खोलेगी और उसमें अंशदाता से प्राप्त अंशदान और कमेटी द्वारा अंशदान को जमा किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद ने म्युनिसिपल प्रोविडेंट फंड एकाउंट नहीं खोला। अपितु स्वयं नियमित कर्मचारियों द्वारा अलग- 2 अपने-2 नाम के खाते बैंक में खोले गए थे जिसका विवरण निम्न दर्शाया गया अतः इसे को न्यायोचित ठहराया जाये।

श्री भीमसेन ठाकुर क० लिपिक खाता नं० 5200 स्टेट बैंक आफ पटियाला परवाणू	
" हरीकृष्ण डोगरा	" नं० 6441-26 "
" सतीश कुमार चपरासी	खाता नं० 5299 "
श्रीमति निर्मल आरक्षक	खाता नं० 5838 "

(ख) म्युनिसिपल प्रोविडेंट फंड से निकासी।

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के नियम 219 के अनुसार जब भी कोई निकासी प्रोविडेंट फंड से की जाये तो उस राशि को म्युनिसिपल प्रोविडेंट फंड से निकाल कर म्युनिसिपल फंड में जमा करवाया जायेगा और फिर फार्म जी-13 पर बिल बना कर भुगतान किया जायेगा। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा नियमों की उल्लंघना की गई और अंशदायी भविष्य निधि से सीधी ही निकासी की गई जिसका कहीं भी इन्द्राज नहीं किया गया किस का औचित्य स्पष्ट किया जाये जिस के उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं।

कर्मचारी का नाम	दिनांक	राशि अग्रिम निकाली	टिप्पणी
		रु	
श्री भीमसेन ठाकुर	28.7.96	10,000.	कैशबुक बही में इन्द्राज नहीं निकासी बैंक से सीधी की गई, वसूलियां विदड्राल फार्म खाता नं० 5300
श्री भीम सेन ठाकुर	20.9.97	5000.	यथोपरि
श्री हरी कृष्ण डोगरा	4/96	9600	कैशबही में इन्द्राज नहीं निकासी बैंक से सीधी (आंशिक राशि की वसूली रोकड़ दर्शाई गई)
श्री हरी कृष्ण डोगरा	7/97	6000.	"
श्री सुधीर शर्मा	7/96	7500	यथोपरि
श्री सुधीर शर्मा	5/97	9000.	यथोपरि
सुधीर शर्मा	9/97	4000.	यथोपरि
श्री पुरुषोत्तम सिंह	7/96	7500.	यथोपरि
श्री पुरुषोत्तम सिंह	9/97	3000.	यथोपरि
श्री राजेश कुमार	7/96	5000.	यथोपरि
श्री राजेश कुमार	9/97	2500.	यथोपरि

दिनांक 31.3.98 को अंशदायी भविष्य निधि के खाता में निम्न राशियां बकाया थी।

कर्मचारी का नाम	राशि	खाता नं०	
	रु		
श्री भीम सेन ठाकुर	22576	5300	स्टेट बैंक आफ पटियाला परवाणु
" हरी कृष्ण डोगरा	17597	CH-26	"
श्री राजेश कुमार	10213	5299	"
श्री मति निर्मला भारद्वाज	17038	5838	"

" सुधीर शर्मा	120		120	240
" राजेश कुमार	91	142	91	324
				17023

अंशदायी सामान्य भविष्य निधि :

ग) लेजर एकोउंट सबसकराईबर को न बनाना

नगर परिषद ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंट कोड 1975 के नियम 217 (1) के अनुसार प्रोविडेंट फंड लेजर विहित प्रपत्र पर पी० एफ० -1 नहीं बनाया गया है जिस पर प्रत्येक अभिदाता का अलग-2 खाता रखा जाता है यह सन्तोष जनक नहीं है। कार्यकारी अधिकारी परवाणु लेजर पी० एफ- I को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये। जिस कारण से पूर्णतया लेखों की जाँच नहीं की जा सकी।

घ) वाउचर न० 1 मास 3/96 राशी 48727 रू०

नगर परिषद ने चैक न० 20134 द्वारा कुo 48727 रू की निकासी विभिन्न बिलों हेतु की गई इसमें से कु० 1702 रू की निकासी बाबत अभिदाता से अभिदान और कमेटी का अंश दान हेतु की गई वितरण सूची प्राप्त है परन्तु इस राशी का इन्द्राज सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में नहीं पाया गया अतः यह सुनिश्चित किया जाये इस राशी को सम्बन्धित अभिदाता के खाते में कब जमा करवाया गया।

नाम कर्मचारी	अभिदान	अग्रिम की वसूली	कमेटी अंशदान	योग
	रू०	रू०	रू०	रू०
श्री हरी कृष्ण	150	—	150	300
श्री निर्मल आजाद	109	—	109	218
श्री पी० एस० चौधरी	120	—	120	240
" वी० एस० ठाकुर	190	—	190	380
" सुधीर शर्मा	120		120	240
" राजेश कुमार	91	142	91	324
				1702 रू

वाउचर नं० 7 माह 4/95 राशि 1434 रू०

50 मुबलिग 1434 रू० की निकासी दिनांक 5.4.95 को दी कोमि.डा. के० अपग्रेडेड बैंक पलवारी खाता न० 1626 से जिस का विवरण निम्न है की गई परन्तु इस राशि को आगे निपटारा नहीं दर्शाया गया अत: मु० 1434 रू० की सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

	2/93	3/93	योग	टिप्पणी
i) श्री एस० के० डोगरा	250	250	500 रू	अग्रिम राशी की वसूली
ii) श्री सुधीर शर्मा	165	165	330	
iii) पी० एस० चौधरी	160	160	320	
iv) श्री सतेग कुमार	142	142	284	
	717	717	1434.	

था, परन्तु नगर परिषद ने अवधि 4/95 से 2/96 के बकाया का नकद ही भुगतान कर दिया गया जिसका विवरण निम्न है, इस प्रकार नियमों/आदेशों की उल्लंघना की गई। अत: यह मामला निदेशक शहरी विकास के ध्यान मे आवश्यक कार्यवाही / निर्देश हेतू लाया जाता है।

विवरण

कर्मचारी का नाम	मूल वेतन	अवधि 4/95 से 2/96 भुगतान	मार्च 96	योग
1 श्री भीम सेन ठाकुर	1900-00	2150-10	190-10	2340-15

2. श्री हरीकृष्ण डोगरा	1500-00	1650-00	150-00	1800-00
3. " परुषोतम चौधरी	1200-00	1320-00	120-00	1440-00
4. " सुधीर शर्मा	1240-00	1364-00	124-00	1488-00
5. श्रीमति निर्मला भारद्वाज	1095-00	1199-00	109-00	1308-00
6. श्री राजेश	900-00	990-00	90-00	1080-00

छ) महंगाई भत्ते की किश्त का नकद भुगतान :

वा० न० 9 मास 7/96 राशि 5670/-

हि० प्र० सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० फिन (सी) बी (7)-1/89 दिनांक 2-7-96 द्वारा महंगाई भत्ते की 1-1-96 से 148% किश्त जारी की। और पैरा सं० 6 में यह निर्देश दिये गये कि अवधि 1/1/96 से 30/6/96 तक महंगाई भत्ते के बकायाजात को कर्मचारी के अंशकालीन भविष्य निधि /सामान्य भविष्य निधि में जमा करवाया जायेगा और 1/7/96 से नकद भुगतान किया जायेगा।

नगर परिषद ने मु० 5670/- रु० की निकासी बाबत बकायाजात महंगाई भत्ता की अवधि 1-1-96 से 30-6-96 की गई। अंकेक्षण मे पाया गया कि इस महंगाई भत्ते की बकायाजात को अंश कालीन भविष्य निधि मे जमा न करवाकर नकद भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न है। उस

प्रकार निर्देशों की अवहेलना की गई। अतः सम्बन्धित दोषी अधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

कर्मचारी का नाम	राशि	टिप्पणी
1. श्री भीम सिंह ठाकुर	1368-00	
2. श्री हरीकृष्ण डोगरा	1080-00	
3. श्री सुधीर शर्मा	918-00	
4. श्री पुरुषोत्तम	864-00	
5. श्री राजेश	648-00	
6. श्री मति निर्मल भारद्वाज	792-00	वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद नहीं।

... रु० 46,647-51 रु० कामकाजी महिला छात्रावास, परवाणु के शेष थे।

3. <u>60/-रु० कम जमा किये गये</u>

कु० आशा ठाकुर से मास जुलाई '96 का किराया मु० 150/- र० सं० 64/78 दि० 22-7-96 द्वारा प्राप्त किये परन्तु कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ बही में केवल 90/- रु० दर्शाये गये, इस प्रकार मु० 60/-रु० कम जमा किये गये, जिसे अब प्राप्त करके जमा करवाया जावे।

30. कामकाजी महिला छात्रावास

(क) कामकाजी महिला छात्रावास – रोकड़ बही

1. अवधि 4/95 से 3/98 की कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ बही के अवलोकन से पाया गया कि रोकड़ बही में सक्षम अधिकारी द्वारा आय और व्यय की प्रविष्टियों को दिनांकित हस्ताक्षरित नही किया गया। जिस कारण से रोकड़ बही की सत्यता की पूर्णतया जाँच नही की जा सकी। यह सन्तोषजनक नही है। कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ बही की निम्नानुसार आय और व्यय की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जायें और भविष्य में भी प्रत्येक प्रविष्टि के इन्द्राज को दिनांकित हस्ताक्षरित करवाया जाये, इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

2. दिनांक 31-3-98 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, परवाणु खाता सं० 1 में मु० 46,647-51 रु० कामकाजी महिला छात्रावास, परवाणु के शेष थे।

3. 60/-रु० कम जमा किये गये

कु० आशा ठाकुर से मास जुलाई '96 का किराया मु० 150/- र० सं० 64/78 दि० 22-7-96 द्वारा प्राप्त किये परन्तु कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ बही में केवल 90/-रु० दर्शाये गये, इस प्रकार मु० 60/-रु० कम जमा किये गये, जिसे अब प्राप्त करके जमा करवाया जाये।

कामकाजी महिला छात्रावास

वाऊचर उपलब्ध नहीं

(ड) कामकाजी महिला छात्रावास, परवाणु की रोकड बही का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि निम्न राशियां रोकड बही से निकासी / भुगतान दर्शाया गया परन्तु सम्बन्धित व्यय के वाऊचर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये। और सम्बन्धित चैक बुके भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिस कारण से व्यय की पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी। अतः इन वाऊचरों का कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु द्वारा प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा इन राशियों की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके इस निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जाये।

विवरण :-

मास	राशि रु०	टिप्पणी
4/95	2295/-	भुगतान कु० योगिता वाली, वार्डन कामकाजी महिला छात्रावास, वेतन मास 3/95
5/95	2295/-	—— यथोपरि —— वेतन मास 4/95
6/95	2295/-	—— यथोपरि —— वेतन मास 5/95
7/95	5454/-	वेतन चौकीदार व सफाई कर्मचारी, निकासी चैक सं० 0169355, स्टेट बैंक आफ पटियाला
7/95	2295/-	भुगतान कु० योगिता वाली, वार्डन कामकाजी महिला छात्रावास, वेतन मास 6/95 निकासी चैक सं 169354, स्टेट बैंक आफ पटियाला।
7/95	1335/-	खिड़कियों में शीशे लगवाने हेतु निकासी चैक सं० 169356, स्टेट बैंक आफ पटियाला।
8/95	2295/-	भुगतान कु० योगिता वाली, वार्डन कामकाजी महिला छात्रावास, वेतन मास 7/95, निकासी चैक सं० 169357 स्टेट बैंक आफ पटियाला।

9/95	2405/-	भुगतान कु० योगिता बाली, वार्डन कामकाजी महिला छात्रावास, वेतन मास 8/95, निकासी चैक सं० 169360, स्टेट बैंक आफ पटियाला।
10/95	2405/-	——— यथोपरि ——— वेतन मास 9/95 निकासी चैक सं० 080213 स्टेट बैंक आफ पटियाला।
10/95	2325/-	कोई विवरण उपलब्ध नहीं, निकासी चैक सं० 080214, स्टेट बैंक आफ पटियाला।
11/95	3095/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 080218, स्टेट बैंक आफ पटियाला।
12/95	3066/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 080965, स्टेट बैंक आफ पटियाला
3/96	715/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 080969, स्टेट बैंक आफ पटियाला
3/96	1300/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 080970, स्टेट बैंक आफ पटियाला
7/96	500/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 0856339 स्टेट बैंक आफ पटियाला
8/96	1497/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 0856296, स्टेट बैंक आफ पटियाला
8/96	1104/-	——— यथोपरि ——— निकासी चैक सं० 856295, स्टेट बैंक आफ पटियाला

वाऊचर सं० 1 मास 8/95 राशि 4087-00

(ii) वाऊचर सं० 2 मास 9/95 राशि 1961-00

(i) मु० 491/- रु० का दोहरा भुगतान

नगरपरिषद् परवाणु ने चैक सं० 169358 द्वारा मु० 4087-00 रु० की निकासी विभिन्न बिलो हेतु की गई जिसका विवरण निम्न दिया गया है :-

	रु०
हार्डवेयर स्टोर परवाणु को भुगतान	3296-00
पार्टटाइम स्वीपर, लाजो देवी को भुगतान मास 7/95	300-00
दैनिक वेतन भोगी चौकीदार, देवराज को भुगतान, मैस्ट्रोल नं० 45, अवधि 1-7-95 से 31-7-95 तक @ 37.75	491-00
	4087-00

और वाऊचर नं० 2 मास 9/95 द्वारा मु० 1961/-रु० चैक सं० 169371 द्वारा निम्न बिलो हेतु निकासी की गई।

पार्टटाइम स्वीपर, लाजो देवी को भुगतान मास 8/95	300-00
दैनिक वेतन भोगी चौकीदार, देवराज को भुगतान, मैस्ट्रोल नं० 45, अवधि 1-7-95 से 31-7-95 तक @ 37.75	491-00
यथोपरि	117[illegible]
वेतन मास 8/95 दर 37.75	
	1961-00

इस प्रकार मैस्ट्रोल नं० 45 अवधि 1-7-95 से 31-7-95 की मु० 491/-रु० की दो बार निकासी की गई। अतः मु० 491/- की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जावे अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूल करके कामकाजी महिला छात्रावास निधि में जमा करवाई जावे। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जावे।

वाऊचर सं० 4 मास 9/95 राशि 2405/-

वाऊचर सं० 1 मास 10/95 राशि 2405/-

वाऊचर सं० 2 मास 10/95 राशि 2325/-

मास 8/95 के वेतन का दोहरा भुगतान मु० 2405 रु०

कामकाजी महिला छात्रावास के रोकड़बही के व्यय के वाऊचरो की जाँच करते समय पाया गया कि कु० योगितावाली के मास 8/95 के वेतन की निकासी वाऊचर सं० 4 मास 9/95, चैक सं० 169360 द्वारा दर्शाई गई। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि मास 8/95 का वेतन वाऊचर नं० 1 मास 10/95 चैक सं० 080213 मु० 2405/- की निकासी की गई और भुगतान कु० योगिता वाली को दर्शाया गया। जब कि वाऊचर सं० 2 मास 10/95 द्वारा मु० 2325/- रु० की निकासी चैक सं० 080214 द्वारा मास 9/95 के वेतन की गई और भुगतान किया गया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मास 8/95 का वेतन की निकासी दो बार चैक सं० 0169360 मु० 2405/- रु० और चैक सं० 080213 मु० 2405/- रु० की गई और भुगतान भी दो बार किया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु यह सुनिश्चित करे कि मास 8/95 का वेतन का भुगतान दो बार तो नही किया गया, क्योंकि अंकेक्षण में सम्बन्धित वाऊचर उपलब्ध नही करवाये गये, अथवा मु० 2405/- रु० की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये अथवा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके कामकाजी महिला छात्रावास निधि में जमा करवायी जाये, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(जारी, नहीं)

(घ) भण्डारण रजिस्टर / प्रविष्टियां नहीं

कामकाजी महिला छात्रावास, परवाणु की व्यय के वाउचर के अवलोकन से पाया गया कि कामकाजी महिला छात्रावास के रोकड़ बही से जो भुगतान विभिन्न सामान क्रय करने हेतु किये गये, परन्तु क्रय किये गये सामान की भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं दिखाई गई। और न ही क्रय किये गये सामान का निपटारा दर्शाया गया। अतः निम्न क्रय किये गये सामान की भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्शाई जाये, अन्यथा व्यय पर किये गये राशियों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके कामकाजी महिला छात्रावास की निधि में शीघ्र जमा करवाई जाये, तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

विवरण

दिनांक	राशि	वस्तु का नाम	टिप्पणी
4/95	1665-00	स्टील अलमारी	भुगतान मै० आर० के० ट्रेडिंग कं० (कोई साईज ही सैक्टर-1, बिल न० 943, दि० 27-3-95 दर्शाया गया)
5/95	2450-00	टी० वी० सैट	भुगतान मै० पारस सेल्स कार्पो० सैक्टर-1 न० 736 परवाणु, बिल न० 102, दि० 18-5-95 (टी० वी० सैट का कोई विवरण नहीं)
8/95	3260-00	सी० आई० पाईप 3 पाईप = 582-00	भुगतान मै० गोयल ब्रदर्स, परवाणु बिल न० 1022 दि० 21-7-95
8/95		वाल क्लाक, सी० पी० वेस्ट इत्यादि = 501-00	बिल न० 1111 दि० 29-7-95
8/95		नल्के, वेस्ट पाईप, इत्यादि = 484-00	बिल न० 1109 दि० 28-7-95
8/95		4 नल्के, वेस्ट पाईप इत्यादि = 480-00	बिल न० 1113 दि० 30-7-95
8/95		6 नल फिक्चर = 580-00	बिल न० 3028 दि० 23-3-95
9/95	2804-00	बिजली के स्वीच, कोर्ड, तार, सौकेट, इत्यादि	भुगतान मै० हिमलाईन सेल्स कार्पोरेशन, बिल न० 201 दि० 14-8-95

इत्यादि नहीं)

5/95	3000-00	एयर कूलर, डबल बलोअर, मूतीकाम ×	भुगतान मै० स्टार वाच एण्ड रेडियो को०, मेन बाजार कालका बिल नं० 3037 दि० 28-4-95
1/96	1080-00	कपड़ा ✓	भुगतान मै० शानदार डिपो, कालका बिल नं० 3976 दि० 23-2-96 कपड़ा 27 मी० @ 40/-
5/96	200-00	तार, टेप रोल इत्यादि ✓	भुगतान मै० गणेश इन्टरप्राईस परवाणु, बिल नं० 61 दि० 10-5-96
11/96	5461-00	20 प्लास्टिक मोल्डिड चेयर ✓	भुगतान मै० टैगरी इण्ड० परवाणु बिल नं० 352 दि० 5-11-96
10/97	1136-00	8 बैग सीमेन्ट ✓	भुगतान मै० एच० पी० एग्रो लि० बिल नं० 97374 दि० 29-9-97
1/98	815-00	6 ट्यूब राड, 6 ट्यूब स्टार्टर, 6 ट्यूब ब्लास्टर इत्यादि ✓	भुगतान मै० भरत इलैक्ट्रिकल बिल नं० 7141, दि० 16-12-97

(छ) वाउचर का अप्राप्त राशि 15282 रु० मास 6/95

मुबलिग 15282 रु० का भुगतान श्री विजय कुमार संविदाकार को बाबत हास्टल के सामने ग्रील और जाली लगाने का किया गया परन्तु माप पुस्तिका बिल द्वारा भुगतान किया गया अंकेक्षण में नहीं उपलब्ध की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

. . . कर्ता

प्रदीप, नहीं)

ग) वास्तविक प्राप्ति की रसीदें

कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ के वाऊचरों का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि नगरपरिषद् परवाणु ने निम्न भुगतान किये दर्शाये गये परन्तु प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन वास्तविक रसीदों को प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये, और इन वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जायें, अन्यथा इन राशियों की वसूली करके, कामकाजी महिला छात्रावास की रोकड़ बही में जमा करवाया जाये।

विवरण

मास	राशि	टिप्पणी
3/96	2748/-	भुगतान श्रीमति योगिता बाली को वेतन मास 2/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
3/96	1327/-	भुगतान श्री खेमचन्द चौकीदार मैस्होल मास 2/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
3/96	1080/-	भुगतान मै० शानदार डिपो, कालका, बिल नं० 3976 / 23-2-96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
7/96	1373/-	भुगतान श्री खेमचन्द चौकीदार, मैस्होल मास 6/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
7/96	500/-	भुगतान श्रीमति प्रेमी देवी, स्वीपर मैस्होल मास 6/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
7/96	6762/-	भुगतान श्रीमति योगिता बाली, को वेतन मास 5/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही) 2985-00 मास 5/96 वेतन; 2985-00 मास 6/96 वेतन; 792-00 बकाया बिल
7/96	3962/-	भुगतान श्रीमति योगिता बाली, वेतन मास 7/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)
7/96	1967/-	भुगतान श्री खेमचन्द चौकीदार, वेतन मास 7/96
	500/-	भुगतान श्रीमति राजो देवी, सफाई कर्मचारी वेतन मास 7/96 (कोई वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद नही)

मांग एवं संग्रह रजिस्टर का न बनाना 1.

वर्किंग वोमेन हास्टल परवाणु में रहने वाली महिलाओं से निर्धारित दर से प्रति माह किराया वसूल किये जाने का प्रावधान है। परन्तु महिलाओं के व्यक्तिगत खाते, मांग एवं प्राप्ति पंजिका का अनुरक्षण नही किया जा रहा था। जिसके ना होने के कारण महिलाओं द्वारा प्रतिमाह जमा करवाये जा रहे किराये पर दृष्टि नही रखी जा सकती। अतः इस महत्वपूर्ण रिकार्ड का अनुरक्षण यथाशीघ्र किया जाये। तथा समस्त रहने वाली महिलाओं को स्थाई पंजीकरण नम्बर अलाट भी किया जाये।

उपरोक्त के साथ प्रत्येक महिला से 100/- रु० हास्टल सिक्योरिटी के रूप में प्राप्त किये जा रहे थे। परन्तु प्राप्त सिक्योरिटी को दर्ज करने के लिये सिक्योरिटी रजिस्टर का रखरखाव नही किया जा रहा था, जिससे यह नही जाँचा जा सका कि कितनी सिक्योरिटी छात्रावास में रहने वाली महिलाओं से प्राप्त की जा चुकी थी। अतः सिक्योरिटी रजिस्टर का रखरखाव यथाशीघ्र आरम्भ किया जाये तथा प्राप्त सिक्योरिटीयो का विवरण इसमें दर्शाया जाये।

इस बारे में अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं० 24(7) पर आवश्यक रिकार्ड एवं जानकारी देने हेतु लिखा गया था, परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

कामकाजी महिला - छात्रावास

कामकाजी महिला हास्टल के संचालन हेतु वेलफेयर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार महिला छात्रावास मे रहने के लिये कामकाजी महिला की मासिक आय 2000/-रु० तक होनी चाहिये। हास्टल में रहने का अधिकतम समय 3 वर्ष निश्चित किया गया है, तथा किराया कामकाजी महिला की मासिक आय व उपलब्ध की गई सुविधाओ के आधार पर तय किया जाना निर्धारित किया गया था। प्राप्त किये गये मासिक किराया से सम्बन्धित अभिलेखों एवं प्रवेश रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि (अधिकतम 60 महिलाओं को हास्टल में ठहराया जा सकता है।) वेलफेयर विभाग द्वारा हास्टल में ठहरने / रहने बारे निर्धारित शर्तो का अनुपालन पूर्णतया नही किया जा रहा था। हास्टल में ठहरने / रहने की अधिकतम सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गई थी। परन्तु देखने में आया कि कई महिलाये लगभग 5-6 वर्षो से हास्टल में रह रही थी। जिस कारण अन्य पात्र महिलाये कामकाजी महिला हास्टल की सुविधाओं से वंचित रह रही है, इसके साथ किराया प्रति वर्ष निर्धारित किया जाना होता है। जिसके लिये विभाग से वेतन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता है, परन्तु बहुत मामलों में वित्तीय वर्ष के आरम्भ मे महिला के कार्यालय से वेतन का प्रमाण-पत्र लेकर किराया निर्धारित नही किया जाता रहा

इस सम्बन्ध मे अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/95 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 24(1ब) पर आवश्यक रिकार्ड एवं जानकारी देने हेतु लिखा गया था, परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। अतः समस्त महिलाओं से वेतन प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त करके किराया निर्धारित किया जाये, तदानुसार किराये की वसूली की जाये, अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत करे।

(ख) कामकाजी महिला हास्टल वार्डन एवं लिपिक के पद पर नियुक्ति बारे ।

(a) श्रीमति निर्मल भारद्वाज 1987 से कामकाजी महिला हास्टल की वार्डन एवं लिपिक के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही थी । श्री मति निर्मल को रेगुलर आधार पर रखने के लिये निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय (अब शहरी विकास) शिमला से स्वीकृति पत्र सं० नं० एल० बी० - एच (बी) - III - 5/86 - III दि० 6 1-92 द्वारा प्राप्त हुई थी । जिसमें स्पष्ट लिखा गया था, कि हास्टल वार्डन कम - लिपिक के पद पर जो महिला दैनिक पर कार्य कर रही है को सारी औपचारिकतायें पूरी करते हुये नियुक्त किया जाये।

नगर पंचायत ने प्रस्ताव सं० 13 दि० 30-3-92 द्वारा प्राप्त निदेशक की स्वीकृति को मानते हुये श्री मति निर्मल भारद्वाज को रेगुलर आधार पर नियुक्त करने बारे अपनी सहमति प्रदान की । तदानुसार आदेश सं० NAC / परवाणु / 93. 3210-12 दि० 1. 2 93 द्वारा श्रीमति निर्मल भारद्वाज को कामकाजी महिला हास्टल वार्डन कम लिपिक दि० 6-1-92 से रेगुलर आधार पर वेतनमान 950-1800 आरम्भ में मूल वेतन 1000.00 रु० पर नियुक्त किया गया । इस नियुक्ति में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई :-

(i) नवनियुक्त कर्मचारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को नहीं कहा गया था । श्रीमति निर्मल का आचरण एवं पूर्ववृत्त चरित्र की पुलिस द्वारा जांच नहीं करवाई गई । मैट्रिक का सर्टिफिकेट जन्म तिथि को जांचने के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः मामले में वांछित कार्यवाही की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करें ।

(iii) निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (अब शहरी विकास) शिमला से पत्र सं० ULB-H(B)-111-5/86-111 दि० 25.6.1992 द्वारा श्री मति निर्मल भारद्वाज जो दैनिक दर पर कान्स्टल वाईन का कार्य कर रही है, को नियुक्त करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसे नगर पंचायत ने प्रस्ताव सं० 13 दि० 30-3-92 द्वारा इस बारे प्रस्ताव पारित किया। परन्तु नगर पंचायत परवाणु ने नियुक्ति आदेश संख्या NAC/परवाणु/93-3210-12 दि० 1-2-93 द्वारा जारी किये गये थे, तदानुसार वेतनमान भी माह 1/93 से निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था। परन्तु श्री मति निर्मल भारद्वाज को वेतन मान 950-1800 में दि० 1-1-92 से मूल वेतन 1000/- रु० निर्धारित किया गया तथा आगामी वेतन वृद्धियां माह 1/93, 1/94, इसी प्रकार प्रदान की गई थी। तथा माह 1/92 से लेकर 31-1-93 तक का बकाया वेतन मु० 6064-00 रु० वाउचर सं० 14 मास 3/94 में भुगतान किया गया था। परन्तु इस संदर्भ में कोई कारण प्रस्तुत नही किया गया, जिसके तहत माह 1/93 में नियुक्ति आदेश जारी किये गये तथा उनको माह 1/92 से लागु किया गया। अतः या तो इस संदर्भ में नगर परिषद / सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत की जाये अथवा मु० 6064.00 रु० की वसूली यथाशीघ्र की जाये। इस बारे में अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/95 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 24(3) पर आवश्यक रिकार्ड एवं जानकारी देने हेतु लिखा गया था, परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

	मूल वेतन
नियुक्ति आदेश के आधार पर मूल वेतन निर्धारित किया जाना था	1000-00
1/93 जिस दिन कार्यग्रहण किया (कार्य ग्रहण की तिथि नही बताई गई)	या 950+15
	1020+15
1/94	

(iii) श्रीमति निर्मला भारद्वाज, लिपिक

श्रीमति निर्मला भारद्वाज नगर परिषद् कार्यालय परवाणु में कार्यरत थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् परवाणु ने सूचित किया कि श्रीमति निर्मला भारद्वाज अवधि 4/95 से 3/98 में निदेशक, शहरी विकास, हि० प्र० शिमला-2 के कार्यालय में कार्यरत है, और उसके वेतन व भत्ते अवधि 4/95 से 3/98 के नगर परिषद् परवाणु द्वारा दिये गये हैं। नगर परिषद् परवाणु द्वारा श्रीमति निर्मला भारद्वाज के निदेशक, शहरी विकास, हि० प्र० शिमला-2 कार्यालय मे कार्य करने सम्बन्धी आदेश अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये।

1.

श्रीमति योगिता वाली हास्टल वार्डन की नियुक्ति बारे

श्रीमति निर्मल भारद्वाज को रैगुलर आधार पर कार्यालय आदेश सं० NAC/परवाणु/93-3310-12 दि० 1-2-93 द्वारा 6/1/92 से हास्टल वार्डन-लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया। श्रीमति निर्मल भारद्वाज पहले ही दैनिक दर पर हास्टल वार्डन का कार्य करती थी, रेगुलर करने हेतु निदेशक, शहरी विकास, शिमला के पत्र सं० यू० एल० बी० एच० (बी) - III - 5/86 - III दि० 6-1-92 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, श्रीमति निर्मल भारद्वाज दि० 3-10-93 तक हास्टल वार्डन के पद पर कार्यरत रही तथा दि० 4/10/93 से 3/10/95 तक की अवधि के दौरान लीट्रेसी प्रोग्राम के तहत धर्मपुर जिला सोलन (हि० प्र०) उसे तैनात किया गया। यह बतलाया गया कि आदेश जिलाधि[kari] सोलन द्वारा जारी किये गये थे। परन्तु जिलाधिकारी आदेश मांगने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये। ना गा

श्रीमति निर्मल भारद्वाज की अनुपस्थिति में (हांलाकि इसका वेतन हास्टल वार्डन के पद के लिये नगर परिषद निधि से ही किया जाता रहा) श्रीमति ... को कामकाजी महिला हास्टल परवाणु के वार्डन पर आदेश सं० WWH/94/95-73031 दि० 26-11/95 वेतनमान 950-35-1160-40-1320-45-1500-50-1800 मूल वेतन (आरम्भ) में पर नियुक्त किया ग[या] परन्तु नियुक्ति आदेशों को अंकेक्षण में प्रस्तु[त] किया गया था, तथा यह बतलाया गया कि फाईल जिलाधीश, सोलन के कार्यालय में किसी ... में भेजी गई थी।

उपरोक्त हास्टल वार्डन की नियुक्ति में निम्न प्रकार कि त्रुटियां पाई गई।

(क) हास्टल वार्डन के पद पर पहले ही श्रीमति निर्मल ... की नियुक्ति की जा चुकी थी, जिसकी स्वीकृति निदेशक ...

शहरी विकास, हि० प्र० से पत्र सं० नं० एल० बी० - एच(बी) ।-।।।-5/86-।।। दि० 6-1-92 द्वारा प्राप्त हुई थी। अतः एक पद पर दो वार्डनो की नियुक्ति नही की जा सकती थी। जो कि एक गम्भीर मामला है।

(ख) एक पद के खिलाफ दूसरी वार्डन को नियुक्त करने की स्वीकृति हि० प्र० सरकार से प्राप्त नही की गई थी। इसके साथ दूसरी वार्डन का पद भी सरकार द्वारा सृजित नही किया गया था।

(ग) कामकाजी महिला हास्टल का निर्माण एवं उसके रखरखाव की जिम्मेवारी नगर परिषद परवाणु की है। तथा आय व व्यय के लेखों का भी रखरखाव नगरपरिषद द्वारा किया जा रहा था। परन्तु श्रीमति योगिता वाली नई (द्वितीय) कामकाजी महिला हास्टल वार्डन की सेवा पंजिका सहायक कमिशनर परवाणु द्वारा अनुरक्षण की जा रही थी। परन्तु इस संदर्भ में ऐसे कोई हि० प्र० सरकार के आदेश प्रस्तुत नही किये गये थे कि कामकाजी महिला हास्टल का रखरखाव सहायक कमिशनर, परवाणु कार्यालय द्वारा ही किया जाता था।

अतः श्रीमति योगिता वाली नवनियुक्त कामकाजी महिला हास्टल वार्डन से सम्बन्धित नियुक्ति पत्र एवं सम्बन्धित रसीदें, जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही एक पद के विरुद्ध दूसरी वार्डन को नियुक्त करने की पूर्ण जांच की जाये तथा जिम्मेदारी निर्धारित करके एक पद के खिलाफ दो वार्डनो को किये गये वेतन के भुगतान करने के फलस्वरूप जो नुकसान नगरपरिषद को हुआ उसकी वसूली शीघ्र की जाये,

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अवधि 4/90 से 3/95 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 24(13) पर आवश्यक रिकार्ड व जानकारी देने हेतु लिखा गया था परन्तु इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। अतः अब इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाये, मामले में की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

घ) वाउचर नं० 1 मास 3/94 राशि 2976 रु

1.

रु० 2976 रु० का भुगतान श्री मति योगिता बाली कार्यकारी महिला हास्टल वार्डन परवाणु को मास 3/94 का वेतन दिया गया। परन्तु श्री मति योगिता बाली की सेवा पंजिका आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं की गई उपस्थिति रजिस्टर भी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया

(ii) श्री मति योगिता बाली के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

[illegible]ला वर्मा	60-00	मास 12/95 [illegible] वसूली।
सरिता शर्मा	180-00	मास 8/95, 9/95, 12/95 की दर 60/- से कम वसूली।
[illegible]शा वर्मा	162-00	मास 5/95 से 7/95 की दर 54/- रु० कम वसूली।
[illegible] ठाकुर	54-00	मास 10/95 की दर 54/- रु० से वसूली।
[illegible] [illegible]	60-00	मास 8/95 की दर 60/- रु० से वसूली।
[illegible]ला शर्मा	360-00	मास 5/95, 7/95 से 11/95 की दर 60 से कम वसूली।
[illegible] ठाकुर	54-00	मास 12/95 की दर 54/- रु० से वसूली।
[illegible] [illegible]रिया	270-00	मास 5/95 से 7/95 की दर 54/- कम वसूली
	1590-00	

हास्टल कमरा किराये की कम वसूली 1.

कामकाजी महिला छात्रावास की आज की अवधि 4/95 से 3/98 की पड़ताल करते समय पाया गया कि नगरपरिषद् ने कामकाजी महिलाओं से जिन्हे छात्रावास के कमरे आंवटित किये थे, उनसे हास्टल के कमरो के किराये की कम वसूली प्रतीत होती है, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं:-

अतः मु0 12025/- रू0 की वसूली सम्बन्धित छात्रावास में रहने वाली कामकाजी महिला से की जाये, अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से करके कामकाजी महिला छात्रावास निधि में जमा करवाया जाये, तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

विवरण

कामकाजी महिला का नाम	राशि जो कम वसूली	टिप्पणी
सरोज बाला	90-00	मास 5/95, 6/95, की दर 45/- रू0 से कम वसूली।
सुषमा वर्मा	300-00	मास 5/95, 6/95, 8/95, 9/95, 10/95 की दर 45) से कम वसूली।
विमला वर्मा	60-00	मास 12/95 की दर 60/- रू0 से कम वसूली।
सरिता शर्मा	180-00	मास 8/95, 9/95, 12/95 की दर 60/- से कम वसूली।
[illegible]शा वर्मा	162-00	मास 5/95 से 7/95 की दर 54/- रू0 कम वसूली।
[illegible]मन ठाकुर	54-00	मास 10/95 की दर 54/- रू0 से वसूली।
[illegible] सिन्धु	60-00	मास 8/95 की दर 60/- रू0 से वसूली।
[illegible] शर्मा	360-00	मास 5/95, 7/95 से 11/95 की दर 60 से कम वसूली।
निर्मला ठाकुर	54-00	मास 12/95 की दर 54/- रू0 से वसूली।
[illegible] गुलेरिया	270-00	मास 5/95 से 7/95 की दर 54/ कम वसूली
	1590-00	
	4715-00	

-रू0

अ-
[illegible]

	1590-00	
...जा देवी	180-00	मास 8/95 से 11/95 की दर 45/- रु० से कम वसूली।
...लता	90-00	मास 9/95, 2/96 की दर 45/- रु० से कम वसूली।
...ला देवी	360-00	मास 7/95, 9/95 से 2/96 ~~1/96~~ 1/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...देवी	420-00	मास 5/95 से 9/95, 12/95, 1/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...चौहान	120-00	मास 12/95, 1/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...न्ता	180-00	मास 6/95, 12/95, 1/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...कश्यप	60-00	मास 7/95 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...धा देवी	135-00	मास 8/95 से 10/95 की दर 45/- रु० से कम वसूली।
...न्ता देवी	240-00	मास 8/95, 9/95, 12/95, 1/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
सीता चौहान	60-00	मास 5/95 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
निर्मला	60-00	मास 8/95 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
कान्ता शर्मा	60-00	मास 11/95 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
निर्मल ठाकुर	280-00	मास 2/96, 3/96 की दर 140/- रु० से कम वसूली।
श्यामा	60-00	मास 3/96 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
...सीता गुलेरिया	320-00	मास 7/96 से 10/96 की दर 80/- रु० से कम वसूली।
...ऊषा	140-00	मास 11/96 की दर 140/- रु० से कम वसूली।
...कान्ता	80-00	मास 6/96 की दर 80/- रु० से कम वसूली।
...शर्मा	140-00	मास 9/96 की दर 140/- रु० से कम वसूली।
...सीता वर्मा	140-00	मास 2/97 की दर 140/- रु० से कम वसूली।
	4715-00	

4715-00	
640-00	मास 6/96 से 11/96, 1/97, 2/97 की दर 80/- से कम वसूली।
78-00	मास 5/96 की दर 78/- से कम वसूली
270-00	मास 11/96, 1/97 की दर 135/-रु० से कम वसूली।
240-00	मास 5/96, 7/96, 1/97, 2/97 की दर 60/- रु० से कम वसूली।
135-00	मास 1/97 की दर 135/-रु० से कम वसूली।
135-00	मास 9/96 की दर 135/-रु० से कम वसूली।
340-00	मास 5/96, 6/96 की दर 170/-रु० से कम वसूली
75-00	मास 5/96 की दर 75/-रु० से कम वसूली।
340-00	मास 5/96, 1/97 की दर 170/-रु० से कम वसूली
177-00	मास 2/97, की दर 177/-रु० से कम वसूली।
680-00	मास ~~5/96~~, 11/96 से 2/97 की दर 170/-रु० से कम वसूली
420-00	मास 6/96 से 11/96 की दर 70/- से कम वसूली।
135-00	मास 1/97 की दर 135/-रु० से कम वसूली।
270-00	मास 12/96, 1/97 की दर 135/-रु० से कम वसूली
360-00	मास 5/96, 8/96 से 11/96, 1/97 की दर 60/-रु० कम वसूली।
140-00	मास 7/96, 10/96 की दर 70/-रु० ~~की~~ से कम वसूली
350-00	मास 7/96 से 11/96 की दर 70/-रु० कम वसूली।
120-00	मास 1/97 की दर 120/-रु० से कम वसूली।
120-00	मास 1/97, 2/97 की दर 60/-रु० से कम वसूली।
140-00	मास 1/97 की दर 140/-रु० से कम वसूली।
9880-00	

9880-00	
138-00	मास 1/98 की दर 138/-रु० से कम वसूली।
177-00	मास 9/97 की दर 177/-रु० से कम वसूली।
1239-00	मास 8/97 से 2/98 की दर 177/-रु० से कम वसूली।
177-00	मास 1/98 की दर 177/-रु० से कम वसूली।
414-00	मास 11/97 से 1/98 की दर 138/-रु० से कम वसूली।
12025-00	

(ख) नगर परिषद् भूमि को तहबाजारी पर देना

(1) मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु

अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपरिषद् परवाणु ने मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु को 45×45=2025 वर्ग मी० भूमि तहबाजारी किराये पर दी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० एल० एस० जी० -(3)-231 दि० 26-11-85 द्वारा 1/- रू० प्रति वर्ग मी० प्रति दिन की दर से नगर परिषद् भूमि की तहबाजारी की दरें निर्धारित की गई।

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगरपरिषद् ने तहबाजारी की वसूली मै० फोर्ज इण्डिया क० लि० से 900/- रू० प्रति मास की दर से की गई। जबकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 1/- रू० प्रतिवर्ग मी० प्रति दिन की दर आपेक्षित थी। इस प्रकार अवधि 4/95 से 3/98 दर 1/- रू० प्रति वर्ग मी० प्रतिदिन की दर से 45×45=2025 वर्ग मी० प्लाट की तहबाजारी की देय राशि मु० 2219,400/- रू० है।

इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5/4 दि० 11/6/201 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद् परवाणु को अनुरोध किया गया कि वह सूचित करे कि मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु से तहबाजारी की वसूली हि० प्र० सरकार अधिसूचना के अनुसार की जाये।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् परवाणु द्वारा सूचित किया गया कि मै० फोर्ज इण्डिया क० लि० परवाणु से तहबाजारी की वसूली अभी भी 900/- रु० प्रति मास की दर से की जा रही है। अतः जो तहबाजारी की कम वसूली की गई उसकी अब वसूली की जाये।

(ख) नगर परिषद भूमि को तहबाजारी पर देना

(1) मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद परवाणु ने मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु को 45x45=2025 वर्ग मी० भूमि तहबाजारी किराये पर दी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० एल० एस० जी० -(3)-231 दि० 26-11-85 द्वारा 1/-रु० प्रति वर्ग मी० प्रति दिन की दर से नगर परिषद भूमि की तहबाजारी की दरें निर्धारित की गई।

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद ने तहबाजारी की वसूली मै० फोर्ज इण्डिया क० लि० से 100/-रु० प्रति मास की दर से की गई। जबकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार 1/-रु० प्रति वर्ग मी० प्रति दिन की दर आपेक्षित थी। इस प्रकार अवधि 4/85 से 3/98 दर 1/-रु० प्रति वर्ग मी० प्रतिदिन की दर से 45x45=2025 वर्ग मी० प्लाट की तहबाजारी की देय राशि मु० 2219,400/-रु० है।

इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5/4 दि० 11/6/01 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणु को अनुरोध किया गया कि वह सूचित करे कि मै० फोर्ज इण्डिया क० लि०, परवाणु से तहबाजारी की वसूली हि० प्र० सरकार अधिसूचना के अनुसार ~~कि~~ की जाये।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणु द्वारा सूचित किया गया कि मै० फोर्ज इण्डिया क० लि० परवाणु से तहबाजारी की वसूली अभी भी 100/-रु० प्रति मास की दर से की जा रही है। अत: जो तहबाजारी की कम वसूली की गई उसकी अब वसूली की जाये।

और कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद, परवाणु यह सुनिश्चित करे कि अवधि 1/3/95 से 31/3/98 तक की तहबाजारी की वसूली हि० प्र० राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

(2) दूरभाष विभाग, परवाणु

नगरपरिषद परवाणु ने दूरभाष विभाग को 1188 वर्ग मी० जमीन किराये पर दी गई थी। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना सं० 514 दि० 11-6-2001 द्वारा अनुरोध किया गया कि वह सूचित करे कि दूरभाष विभाग से तहबाजारी की कितनी वसूली की गई है। कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद परवाणु ने दि० 16/6/2001 द्वारा सूचित किया की दि० 31-3-98 को मु० 715,840/- रू० दूरभाष विभाग से तहबाजारी के शेष है। यह सन्तोषजनक नहीं है। अतः तहबाजारी की अतिशीघ्र वसूली की जाये, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करे।

(3) मै० कमला डायलस सैक्टर - 3 परवाणु

नगरपरिषद परवाणु ने नगरपरिषद की भूमि 374.20 वर्ग मी० मै० कमला डायलस सै० - 3, परवाणु को किराये पर दी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणु ने सूचित किया कि दि० 31-3-98 को मु० 134,712/-रू० तहबाजारी के मै० कमला डायलस सैक्टर - 3, परवाणु से देय है। अतः इसकी वसूली शीघ्र की जाये, और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करे।

(क) सीवरेज कुनैक्शन

नगरपरिषद् परवाणु ने श्री बी० डी० कश्यप, समीप होटल मोनाल, परवाणु से रसीद सं० 38/98 दि० 5-9-97 द्वारा मु० 360/- रु० की वसूली बाबत सीवरेज कुनैक्शन शुल्क वसूल किया परन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

ख) सिनेमा शो टैक्स

अंकेक्षण में पाया गया कि मयूर सिनेमा, परवाणु के सिनेमा शो टैक्स के दिनांक 31-3-98 को मु० 27150/- रु० बकाया थे। यह सन्तोषजनक नहीं है। अतः इसकी वसूली शीघ्र की जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित करें।

ग) किराया दुकान — 01 सैक्टर - 5, परवाणु

नगरपरिषद् परवाणु ने एक दुकान सं० - 1, श्री तरसेम को सैक्टर - 5, परवाणु में मु० 650/- रु० प्रति मास किराये पर दी थी। और दिनांक 31-3-98 को मु० 9455/- बकाया थे। यह सन्तोषजनक नहीं है, श्री तरसेम सिंह से अतिशीघ्र वसूली की जाये और इस निदेशालय को सूचित किया जाये।

निमुक्ति श्री मनोहर लाल और कु० कमलेश, लिपिक

निदेशक शहरी विकास हि० प्र० के नियुक्ति पत्र संख्या ULB/H(A)(1)-16/94-5742 दि० 26-8-95 द्वारा श्री मनोहर लाल और कु० कमलेश को अनुबन्ध आधार पर 1500/- रु० प्रति मास वेतन पर तीन मास के लिये लिपिक नियुक्त किया गया और इस अनुबन्ध नियुक्ति की निदेशक शहरी विकास के पत्र सं० ULB-H(A)(1)-16/94-1650 दि० 12-2-97 द्वारा 31-3-97 तक स्वीकृति प्रदान की गई।

2) दैनिक वेतन दर 57.95 रु० प्रति दिन दिनांक 1-4-97से

नगरपरिषद परवाणु कार्यालय आदेश सं० न० प० परवाणु निजी (नस्ती) 97-521-525 दि० 19-6-97 द्वारा दिनांक 1-4-97 से दैनिक दर 57.95 रु० प्रति दिन की दर से नगर परिषद प्रस्ताव सं० 4 दिनांक 30-4-97 के सन्दर्भ में जारी किया गया। इस प्रकार श्री मनोहर लाल और कु० कमलेश, लिपिकों को दिनांक 1-4-97 से 57.97 रु० प्रति दिन की दर से दिहाड़ी दी गई इसमें निम्न अनियमितताऐं पाई गई।

(i) श्री मनोहर लाल और कु० कमलेश की नियुक्ति निदेशक, शहरी विकास हि० प्र० द्वारा अनुबन्ध आधार पर 1500/- रु० प्रति मास पर की गई थी। अत: दि० 1-4-97 से नगर परिषद द्वारा दर 57.97 रु० प्रति दिन की दर से भुगतान किया गया, जिसको नियमित ठहराया जाये। और जो अधिक भुगतान अवधि 1-4-97 से 31-3-98 तक किया गया उसको विभाग द्वारा गणना करके उसकी वसूली की जाये। अन्यथा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाये।

(ii) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगरपरिषद द्वारा दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को मैस्ट्रोल भी जारी नहीं किये गये अपितु बिल जी-16 (नियमित बिल) पर बनाया गया जिसको भी ... बाद भुगतान नियमित ठहराया जाये।

वाउचर नं0 1 मास 7/95 राशि 10265.0 रु

(5) - अधिक भुगतान मु. 624 रु0 -

मुबलिग 10265 रु0 का भुगतान प्रबंधक यू0 पी0 स्टेट इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन प्र0लि0 परवानु को चैक नं0 048964 दिनांक 13.7.95 द्वारा बिल नं0 87071 और 87072 दिनांक 27.5.95 का किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई;

i) मुबलिग 624 रु0 का गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया जिस की वसूली सम्बंधित फर्म से की जाये अन्यथा सम्बधित दोषी कर्मचारी से कर के नकद परिषद निधि में जमा करवाई जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये विवरण निम्न है।

जो भुगतान किया।

बिल नं0/दिनांक	नाम वस्तु	दर रु	राशि रु0
87072 / 27.5.95	सीमेंट 20 बैग	121.25 प्रति बैग	= 2425.00 रु
		सेल्ज टैक्स 8%	194.00 रु.
		योग	2619.00
87071 / 27.5.95	सरिया 10 एम एम 3.25 क्विंटल दर 1410		= 4582.50 रु
	" 12 एम एम 1.55 " दर 1400		= 2770.00
			7352.50
		योग	294.10
		(+) सेल्ज टैक्स 4%	7646.60

= 10265.60

कुल भुगतान किया 2619.00 (+) 7646.60

जो देय राशि।

87072 / 27.5.95	सीमेंट 20 बैग	दर 121.25 प्रति बैग	= 2425 रु
		(+) सेल्ज टैक्स 8%	= 194 रु
			2619 रु
87071 / 27.5.95	सरिया 10 एम एम 3.25 क्विंटल दर 1410 रु0		= 4582.50
	" 12 एम एम 1.55 " दर 1400 रु		= 2170.00
		योग	6752.50
		S.T. 4%	270.10
		योग	= 7022.60

कुल देय राशि = 2619 रु0
7022.60
9641.60

अधिक भुगतान 10265.60 (-) 9641.60 = 624 रु0
मु0 6.24 रु का अधिक भुगतान
... - 2 - ... भुगतान

iii) कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इसका इन्द्राज एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 95 पर दर्शाया गया था परन्तु एम० ए० एस० रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पृष्ठ 95 पर सीमेंट और सरिया का इन्द्राज नहीं पाया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस निर्माण सामग्री का प्रयोग किस कार्य हेतु किया गया। अन्यथा इस निर्माण सामग्री के मूल्य की वसूली सम्बन्धित दोषी कार्मिकों से करके नगर परिषद निधि में जमा करवायी जावे और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे और यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जो निर्माण-सामग्री क्रय की गई हो उसका इन्द्राज सम्बन्धित भण्डारिया। एम. ए. एस. रजिस्टर में भली भांति कर दिया गया है।

.... गुप्ता

वाउचर नं० 51 मास 3/97 राशि 1619 रु०

मु० 338. रु० का अधिक भुगतान

मुबलिग 1619 रु० का भुगतान मै० जय माला इन्टरप्राइज़ दुकान नं० 16 सैक्टर-4 ~~पंचकुला~~ बिल नं० 319, 310, और 319 का चैक न० 44462 दिनांक 22.3.97 द्वारा बाबत सप्लाई रस्सी, टोकरी, इत्यादि का किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई;

i) मु० 338.० रु० का अधिक भुगतान

अंकेक्षण में पाया गया कि बिलों का गलत योग करने के कारण मु० 1619 रु० का भुगतान किया गया जब कि ठीक योग 1281 रु० था इस प्रकार मु० 338 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसे सम्बन्धित फर्म से शीघ्र वसूल किया जाये अन्यथा इस की वसूली दोषी कर्मचारी से करें के नगरपरिषद निधि में जमा करवाया जाये और तदानुसार इस निदेशालय को सूचित किया जाये। विवरण निम्न है;

विवरण

बिल नं० 309 दिनांक 5-2-97

	रु०
5 कि०ग्रा० रस्सी दर 40/-	200.00
2 कि०ग्रा० रस्सी दर 40/-	80.00
4 टीन खली दर 20/-	80.00
योग	360.00 रु०
सेल्ज़ टैक्स 9%	32.40
योग	392.40

बिल नं० 310 दिनांक 5-2-97

10 टोकरी दर 25 रु० प्रति	250.00
5 दरांत दर 60 "	300.00
योग	550 रु०
एस० टैक्स 9%	49.50
योग	599.50

बिल नं० 319 दिनांक 3.3.97

थैली एक दर 70/- रु०	70.00
कस्सी 2 नं० दर 45 रु०	90.00
तसले 2 नं० दर 52.50 रु०	105.00
योग	265.00
एस० टैक्स 9%	23.85
योग	288.85
म	289.00 रु०

बिल सं० 309 का योग	392.00
बिल सं० 310 का योग	600.00
बिल सं० 319 का योग	289.00
कुल योग	1281.00

कुल भुगतान	1619.00	रू०
देय राशि	1281.00	रू
अधिक भुगतान	338.00	रू

(ii) डी० एंड पी० रजिस्टर में इन्द्राज

नगर परिषद ने उपरोक्त सामान का इन्द्राज डी० एंड पी० रजिस्टर में बिल के अनुसार किया जावे कि इसका इन्द्राज डी० एंड पी० रजिस्टर में मद के अनुसार आपेक्षित है (देखें रजिस्टर पृष्ठ 16 से 20) डी० एंड० पी० रजिस्टर को नियमानुसार बनाया जावे और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

इस बिल का लगभग 7 साल बाद भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जावे।

(iii) बिल नं० 1596 दिनांक 11-11-89 राशि 120/-रू०

मु० 120/-रू० का भुगतान मै० शंकर एण्ड सन्स, 14B मजूर काम्पलैक्स धरनाण को बाबत एक फिनाईल का किया गया। बिल के अवलोकन से प्रतीत होता है कि, यह बिल एक फिनाईल बोतल का मु० 12/-रू का ही पारित किया गया, परन्तु ओवर लाइन में मु० 120/-रू० दर्शाये गये। अतः इस प्रकार मु० 108/-रू० का अधिक भुगतान दर्शाया गया, जिसको नियमित ठहराया जावे, अन्यथा मु० 108/-रू० की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जावे।

बिल नं० 1596 दि० 11-11-89 का 6½ वर्ष बाद भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(ग) वाऊचर सं० 4 मास 3/96 राशि 565/- रु०

मु० 565/- रु० का भुगतान विभिन्न बिलो हेतु दर्शाया गया, इस भुगतान में निम्न अनियमितताये पाई गई।

i) बिल नं० शून्य दिनांक 6-9-89 राशि 120/- रु०

मु० 120/- रु० का भुगतान मै० पूर्णि टायर सर्विस सैक्टर-2 परवाणु को बिल नं० शून्य दि० 6-9-89 द्वारा बाबत एक टायर दो पैन्चर व खुलाई एवं फिटिंग्स का दर्शाया गया। . . बिल नं० शून्य दि० 6-9-89 को एम० बी० 5 पृ० सं० 34 पर ट्रैक्टर नं० HIA-8003 के एक टायर दो पैन्चर व टायर खुलाई व फिटिंग्स के मु० 20/- रु० ही पारित किये गये थे, जबकि इस बिल का भुगतान 120/- रु० दर्शाया गया, जिसको न्यायोचित ठहराया जाये, और जो मु० 100/- रु० का अधिक भुगतान दर्शाया गया उसकी वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से की जाये और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।

इस बिल का लगभग 7 साल बाद भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

ii) बिल नं० 1596 दिनांक 11-11-89 राशि 120/- रु०

मु० 120/- रु० का भुगतान मै० शंकर एण्ड सन्ज, 14B मयूर काम्पलैक्स परवाणु को बाबत एक फिनाईल का किया गया। बिल के अवलोकन से प्रतीत होता है कि, यह बिल एक फिनाईल बोतल का मु० 12/- का ही पारित किया गया, परन्तु रोकड़ बही में मु० 120/- रु० दर्शाये गये। अतः इस प्रकार, मु० 108/- रु० का अधिक भुगतान दर्शाया गया, जिसको न्यायोचित ठहराया जाये, अन्यथा मु० 108/- रु० की वसूली करके परिषद् निधि में जमा करवाया जाये।

बिल नं० 1596 दि० 11-11-89 का 6½ वर्ष बाद भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(iii) बिल न० शून्य दिनांक 1-9-89 राशि 325/- रु०

बिल न० शून्य दिनांक 1-9-89 का भुगतान मै० सगीर मोटर्स, मेन रोड परवाणु को बाबत मुरम्मत ट्रैक्टर HIA-8003 का दर्शाया गया, अतः इस बिल का भुगतान 7 वर्ष बाद करने का औचित्य स्पष्ट किया जावे।

(iv) वाउचर न० 1 माह 1/97 राशि 18600 रु०

मुबलिग 18600 रु० का भुगतान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत मानदेय का किया गया जिसका विवरण निम्न है। इस मानदेय भुगतान को न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

विवरण :-

1) श्री हरी कृष्ण लिपिक अवधि 5/95 से 3/97, 24 माह दर 200 रु० प्रतिमास 4800 रु०

2) श्री सुधीर सहायक निरीक्षक अवधि 4/91 से 12/96, 69 माह दर 200 रु० प्रतिमास 13800

योग 18600 रु०

(v) वाउचर न० 6 माह 10/95 राशि 10,000 रु०

मुबलिग 10,000 रु० का भुगतान श्री टी० आर० जैन प्रेज़ीडेंट रोटरी क्लब परवाणु को बाबत दशहरा मनाने हेतु दिया गया परन्तु इस राशि का व्यय का विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे।

वाउचर नं० 46 मास 3/97 राशि 1548 रु०

(ड) और वाउचर नं० 47 मास 3/97 राशि 3700 रु०

उपरोक्त राशियों का भुगतान मै० नरेन्द्र कुमार साहनी एंड सन्स कालका को बाबत सप्लाई बजरी, रेत बिल नं० 89, 95 और 96 का किया गया परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि रेत, बजरी का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं दर्शाया गया जिस कारण से जो रेत, बजरी प्राप्त दर्शाई गई उसकी प्राप्ती की पुर्णतया जाँच नहीं कीजा सकी अतः भविष्य में रेत, बजरी की प्राप्ती का इन्द्राज माप पुस्तिका द्वारा दर्शाया जाये

(ज) वाउचर नं० 42 मास 3/97 राशि 500 रु

मु० 500 रु का भुगतान मै० एम० बी० सैल्ज कारपोरेशन परवाणु को बिल नं० 2186 दिनांक 3.2.97 द्वारा बाबत सप्लाई शीशा 25.5 व० फुट दर 18 रु प्रति व० फुट से किया गया परन्तु इस शीशे का इन्द्राज एम० ए० एस। भंडारण रजिस्टर मे नहीं दर्शाया गया जिस कारण से इसकी स्पष्ट की जाँच नहीं की जा सकी अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये अन्यथा मु० 500 रु की राशि उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल करके निर्माण निधि में जमा करवाई जाये।

(झ) वाउचर नं० 44 मास 3/97 राशि 180 रु०

मु० 180 रु का भुगतान मै० एम० एम० स्टील इन्टरप्राईजिज़ परवाणु को बिल नं० 85 दि० 26.2.97 द्वारा गार्डर काटने का किया गया दर 6 30/- रु प्रति गार्डर इस प्रकार 6 गार्डर के रु० 180 रु दिये परन्तु इन गार्डर का इन्द्राज एम० ए० एस। भंडारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये। और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

वाउचर नं० 35 माह 3/98 राशि 2662 रु

मु० 2662 रु० का भुगतान मैं० जयमाला इन्टरप्राइजेज दुकान न० 16 सेक्टर 4 पंचकुला बिल नं० 5547 दिनांक 31.3.98 बाबत गैती 4, फिनायल, झाड़ू इत्यादि का किया गया और इसका इन्द्राज टी० एंड पी० रजिस्टर पृष्ठ 18 पर किया गया परन्तु इन्द्राज बिल के अनुसार एक ही पृष्ठ पर कर दिया जबकि इसका इन्द्राज मद के अनुसार अपेक्षित है अतः टी० एंड पी० रजिस्टर को नियमानुसार बनाया जाय और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

वाउचर नं० 7 माह 7/96 राशि 709.00 रु

मु० 709 रु० का भुगतान श्री पुरुषोत्तम चौधरी व० लिपिक नगर पंचायत को विभिन्न बिलों हेतु किया गया जिसका विवरण निम्न है:

बिल नं०	राशि	वस्तु का नाम	फर्म का नाम	टिप्पणी
5990 / 27.6.96	64.80	4 तार	मैं० ईश्वर मुनादि एजेंसी परवाणु	स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं - अपेक्षित
5991 / 27.6.96	364.60	5 ताले, 6 कुन्डे	"	
1364 / 1.7.96	35.00	हैंडो 7	मैं० शंकर एंड सन्स परवाणु	मौखिक दिनांक 28.6.96
कुल	80.00	एकोर्ड दो किलो	"	"
कुल	65	बिस्कुट 5 पैकेट	"	"

अतः उपरोक्त व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाये।

3) वाउचर नं० 6 मार्च 7/96 राशि 444.00

नगर परिषद की कैश बही में कुल 444 रु का भुगतान दर्शाया बाबत 12 अदद बोतल फिनायल दर 22 रु प्रति बोतल कुल 264 रु और तेजाब 12 बोतल दर 15 रु प्रति बोतल कुल 180 रु दर्शाया गया परन्तु इस का भुगतान किस दुकानदार/फर्म को किया दर्शाया नहीं गया।

इसके अतिरिक्त इस सामान का इन्द्राज सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं पाया गया और प्राप्त कर्ता की वास्तविक रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं की गई अतः इस राशि कुल 444 रु की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाये और तदनुसार इस निदेशालय को सूचित किया जावे।

4) वाउचर नं० 27 मार्च 3/98 राशि 1122 रु

कुल 1122 रु का भुगतान मै० बलजीत [illegible] कालका को बिल 1130 दिनांक 3-12-97 बाबत स्टेशनरी का किया गया अंकेक्षण में पाया गया कि औपचारिकता हेतु तीन निविदाएं दिनांक 17-2-98 को रिकार्ड में थी जब कि बिल दिनांक 3-12-97 का था अतः इस को न्यायोचित ठहराया जावे।

5) वाउचर नं० 25 मार्च 10/97 राशि 2142 रु

कुल 2142 रु का भुगतान मै० एम० वी सेल्स कारपोरेशन [illegible] बिल नं० 2290 दिनांक 17-10-97 बाबत शीशा प्लेन 92 वर्ग फुट और एक टेबल ग्लास (साईज नहीं) का किया गया।

माप पुस्तिका में 92 वर्ग फुट शीशे की [illegible] नहीं की जिस से [illegible] की जांच की जा सके आवश्यक कार्यवाही की जाये।

टेबल ग्लास का इन्द्राज पी० एस० पी० रजिस्टर / स्टेशनरी रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया इस की वसूली कुल 72 रु की सम्बन्धित कर्मचारी से की जावे।

शीशे फिट करने की दर 2.25 रु प्रति वर्ग फुट थी इस प्रकार 92 वर्ग फुट के कुल 207 रु देने थे परन्तु 224 रु का भुगतान किया इस प्रकार कुल 17 रु का अधिक भुगतान किया गया जिस की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाई जावे।

वाउचर नं० 6 मास 7/96 राशि 12,200 रु०

मुबलिग 12,200 रु० का भुगतान मै० नंद कुमार साहनी एंड सन्ज कालका को बिल नं० 25 दिनांक 3.7.96 बाबत सप्लाई रेत 300 घ०फु० बजरी 300 घ०फु० और ईंटें 4000 का किया गया। अंकेक्षण में पाया गया कि इस का इन्द्राज एम० ए० एस० रजिस्टर पृष्ठ 29 पर किया गया परन्तु माप पुस्तिका में इस की प्राप्ती की वसूली का इन्द्राज नहीं दर्शाया गया जिस कारण से इसकी प्राप्ती की प्रमाणिता जांच नहीं की जा सकी अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये और आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

ओ) वाउचर नं० 25 मास 6/95 राशि 1305.४

मु० 1305 रु० का भुगतान मै० विजय इलकट्रोनिक्स परवाणु को बिल नं० 353 और 363 द्वारा बाबत सप्लाई 4 सैट ट्यूब फिटींग और हीटर इत्यादि का किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :

(i) बिल नं० 353 का योग 1064 रु० था परन्तु गलत गणना के कारण मु० 1074 रु० का भुगतान किया इस प्रकार मु० 10/- रु० का अधिक भुगतान किया गया इस की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये।

(ii) नगर परिषद द्वारा खरीदे गए बिजली के सामान का भंडारण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं दर्शाया गया जिस कारण से बिजली के सामान की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी।

(iii) बिजली का सामान क्रय करने हेतु निविदाएं अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई।

वाउचर नं० 52 मास 3/97 राशि 700 रु०

मुब्लिग 700 रु० का भुगतान मै० राकेश फर्नीचर हाउस सैक्टर-2 परवाणु को बावत लकड़ी चिराई

6 नग	देवदार	दर 55 रु०	330 रु०
4 नग	चील	दर 30	120
3 नग	सफेदा	दर 65 रु	195 रु
1 नग	देवदार	दर 55	55
			700 रु

परन्तु लकड़ी चिराई के बाद कितनी लकड़ी प्राप्त की गई उसका इन्द्राज एम० ए० एस० रजिस्टर। भंडारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया केवल बिल पर दर्शाया "विशेष मुरम्मत लाइब्रेरी" अतः इस लकड़ी का उपयोग। खपत किस भाग पुस्तिका (प्रारा की गई/कार्ड वर्णन नहीं दर्शाया गया अतः आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये अन्यथा मु० 700 रु० की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये।

सू)

वाउचर नं० 22 मास 3/97 राशि 82 रु०

मु० 82 रु० का भुगतान श्री मनोज राम पलम्बर सैक्टर-4 परवाणु को चिल्ड्रन पार्क में पानी की फीटिंग हेतु किया गया अंकेक्षण में पाया गया कि उसका बिल मु० 72 रु० का था परन्तु गलत जमा के कारण मु० 82 रु० का भुगतान किया गया इस प्रकार मु० 10 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिस की अब वसूली की जाये और नगर परिषद निधि में जमा किया जाये।

आ)

वाउचर नं० 18 मास 3/98 राशि 1568 रु

मु० 1568 रु० की निकासी चैक नं० 153398 दिनांक 6.3.98 द्वारा बावत नगर परिषद के वाहन के पंजीकरण हेतु किया गया परन्तु इस की प्राप्ति की रसीद प्रतियां जो अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

वाउचर न० 1 मास 3/97 राशि 8096 रु०

मु० 8096 रु० का भुगतान मै० किट्टू इलैक्ट्रीकल कालका बिल नं० 4694 दिनांक 19.3.97 बाबत सप्लाई 200 ट्यूब का किया गया सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों से सामान क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ii) वाउचर न० 5 मास 4/95 राशि 1000.-

मुबलिग 1000 रु० का भुगतान श्री मोहिन्द्र सिंह को पार्टटाइम चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने का अवधि 11/94 से 3/95 का दर 300 रु० प्रति मास किया गया इसमें से 1/3 हिस्सा मु० 500 रु० की कटौती की गई परन्तु मु० 500 रु० का चालान जिसके द्वारा इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाया अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये
डाक्टर के पार्टटाइम नियुक्ति के आदेश भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये
प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(iii) वाउचर न० 6 मास 3/96 राशि 1812 रु० - ट्रैक्टर HIA-8003

मु० 1812 रु० का भुगतान मै० गुप्ता एंड को० पंजौर को बिल नं० 279 और 280, बाबत ट्रौली हब, बियरिंग रिपेयर का किया गया परन्तु रख-रखाव लाग बुक में इसका इन्द्राज नहीं दिखाया गया और तुलनात्मक विवरणिका भी नहीं बनाई गई थी इसके अतिरिक्त जो पुर्जे बदले गए उनका इन्द्राज डैड स्टाक रजिस्टर में नहीं दिखाया गया अतः आवश्यक रिकार्ड तैयार किया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

आ) वाउचर नं० 1 मार्च 3/96 मारो 24586 रू०

मु० 24586 रू० का भुगतान मै० सैल्फ फिनान्स हाउस सैक्टर 17 चंडीगढ़ को, बाबत बिजली का सामान क्रय करने का किया गया। परन्तु बिजली का सामान सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।
प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

इ) वाउचर नं० 3 मार्च 3/96 मारो 5670 रू०

मु० 5670 रू० का भुगतान सहायक अभियन्ता हि० प्र० स्टेट जलप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सैक्टर-4 परवाणु को बाबत फीस 1993-94 से 1995-96 तक का किया गया इस मारो का नकद भुगतान दर्शाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त प्राप्तकर्ता की वास्तविक रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अब प्राप्त कर के आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

ई) वाउचर नं० 2 मार्च 7/96 मारो 13,770 रू०

मु० 13770 रू० का भुगतान मै० गर्ग इन्टरप्राईजिज परवाणु को बिल नं० 126 दिनांक 20.6.96 द्वारा बाबत सप्लाई बिजली के सामान का किया गया। परन्तु निविदाओं को खोलने की तिथि निविदाओं पर अंकित नहीं थी जिसको न्यायोचित ठहराया जाये।

सरकार द्वारा अनुमोदित फर्मों से सामान क्रय न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

कोटेशन पर हो या जब ... ...
इसके अतिरिक्त ... का पूर्ण विवरण भी नहीं था आवश्यक कार्यवाही कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

[illegible] 1872 [illegible]

(इ) वाउचर नं० 12 मास 4/95 राशि 165 रु०

मु० 165 रु० का भुगतान मै० बलजीत प्रदीप कालका बिल सं० 105 दिनांक 6.4.95 द्वारा बाबत स्टेशनरी स्टेशनरी व मैप पेपर का किया गया परन्तु इस को इन्द्राज स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और न ही इस का वितरण दर्शाया गया इसलिये मु० 165 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(ई) वाउचर नं० 12 ए मास 4/95 राशि 50 रु०

मु० 50 रु० का भुगतान मै० कालका फिलींग स्टेशन परवाणू बिल नं० 1551 दिनांक 11.3.95 बाबत 2.5 लिटर पैट्रोल का किया गया परन्तु इस का इन्द्राज नहीं दर्शाया गया और न ही इस का वितरण दर्शाया गया अत: मु० 50 रु० की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(उ) वाउचर नं० 11 मास 12/95 राशि 8500 रु०

मु० 8500 रु० का भुगतान मै० सचिव दि सोलन म्युनिसिपल एम्पलाईज क्रेडिट सोसायटी सोलन को बिल नं० शून्य दिनांक शून्य द्वारा 10 व्हील बैरो (रेहड़ियां) दर 850 रु० प्रति रेहड़ी से चैक नं० 34442 दिनांक 12/95 द्वारा किया गया। परन्तु इन का इन्द्राज [illegible] रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और बिल भी [illegible] कागज पर ही था जब कि बिल विहित प्रपत्र पर वांछित था इस के अतिरिक्त व्हील बैरों का पूर्ण वितरण भी नहीं था आवश्यक कार्यवाही कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

वाउचर 9 मास 4/95 राशि 5535 रु०

मु० 1873 रु० का भुगतान मै० आर० के० इलैक्ट्रोनिक्स परतापुर को बिल नं० 3333 दिनांक 24.3.95 बाबत सप्लाई 2 OPTEM स्टैंड के पंखे 48" का किया गया इस में निम्न अनियमिततायें पाई गई

i) बिल नं० 3333 दिनांक 24.3.95 का मूल बिल नहीं था अपितु डुप्लीकेट बिल पर भुगतान किया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जाये। यह पंखे (दो) उपप्रधान के घर हेतु क्रय किये दर्शाये गये और इन का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में भी नहीं दर्शाया गया अत: इस व्यय को परिषद निधि से न्यायोचित ठहराया जाये और सम्बन्धित कर्मचारी। अधिकारी से इस की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवाया जाये।

ii) इसी प्रकार मु० 1050 रु० का भुगतान मै० आर० के० इलैक्ट्रोनिक्स परतापुर को बिल नं० 3143 और 3144 दि० 17.2.95 द्वारा बाबत सप्लाई 10 ट्यूब रॉड और 10 चोक का किया गया और इस का इन्द्राज पृष्ठ 39 और 60 पर किया गया परन्तु इस को आगे निपटारा नहीं दर्शाया गया अत: इस की अनुपालना आगामी लेखापरीक्षा में दिखाई जाये।

टी.टी.) वाउचर नं० 7 मास 3/96 राशि 825 रु०

मु० 825 रु० का भुगतान मै० मदन स्टूडियो परतापुर को बिल नं० 3035, 3036 और 3100 दिनांक 30.12.95 बाबत 40 फोटो प्रतियाँ का किया गया यह फोटो बाबत अवैध निर्माण हेतु लिये गये दर्शाई गई परन्तु इन का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और न ही इस का निपटारा दर्शाया गया इस के अतिरिक्त नियमानुसार सूट/केस रजिस्टर भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया जिस से यह सुनिश्चित किया जाये कि नगर परिषद द्वारा केस बाबत अवैध निर्माण फाईल किये गये या नहीं अत: आवश्यक सूट रजिस्टर। लाईसेंस रजिस्टर आगामी लेखापरीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाये।

वाउचर नं० 12 मार्च 11/95 राशि 18260.00

रु० 18260 रु० का भुगतान मैं० इलैक्ट्रोनिक्स एंड फार्मास्युटिकल सैक्टर 17-डी चंडीगढ़ बिल नं० 2435 दिनांक 25-11-95 चैक नं० 3406 द्वारा बाबत सप्लाई :

इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज 1+7 = 10000 रु०
पुश बटन 6 @ 750 = 4500 रु०
तार 300 मीटर @ 7 रु० = 2100
योग 16600 रु०
सेल्सटैक्स 10% 1660 रु०
कुल योग 18260 रु०

का किया गया परन्तु इस का इन्द्राज भंडारण (Property Register) रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि इस इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज को कहां स्थापित किया गया। इस व्यय को नाम परिषद निधि पर न्यायोचित ठहराया जाये और इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

और वाउचर नं० 33 मार्च 12/95 में रु० 2750 रु० इसी फर्म मैं० इलैक्ट्रोनिक्स फार्मास्युटिकल सैक्टर 17-चंडीगढ़ को बाबत सप्लाई CVT हेतु किया गया परन्तु इस का भी इन्द्राज भंडारण रजिस्टर में नहीं पाया गया अतः आवश्यक इन्द्राज किये जाये और आगामी अंकेक्षण में दिखाए जायें।

रु० 760 रु० का भुगतान श्री नरेश कुमार परवाणु को बाबत सफेदी करने के रु० 400 रु० और रु० 360 रु० बाबत नलके इत्यादि की मुरम्मत का किया गया परन्तु माप पुस्तिका में इस की पैमाईश नहीं दिखाई गई जिस कारण से जो भुगतान किया गया उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

अनियमितायें पाई गई:

-११४-

वाउचर नं० 13 मास 5/95 राशि 2710 रु०

मु० 2710 रु० का भुगतान मै० अग्रवाल एंड को० परवाणु बाबत सालिड निर्माण सामग्री बिल नं० 314, 315, 326, 327 का किया गया। और इस का इन्द्राज एम० ए० एस रजिस्टर पृष्ठ 74 पर किया गया और इस की खपत भी दर्शाई गई परन्तु इस की खपत बिना पैमाईश के दर्शाई गई अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि डी० आई० पाईप, सफेदी, पेंट इत्यादि कि खपत बिना पैमाईश की किस आधार पर दर्शाई गई अतः माप पुस्तिका में इस की पैमाईश की जाये और खपत विवरणिका तैयार की जावे अन्यथा मु० 2710 रु० की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर के नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

वाउचर नं० 14 मास 5/95 राशि 760 रु०

मु० 760 रु० का भुगतान श्री नरेश कुमार परवाणु को बाबत सफेदी करने के मु० 400 रु० और मु० 360 रु० बाबत नलके इत्यादि की मुरम्मत का किया गया परन्तु माप पुस्तिका में इस की पैमाईश नहीं दिखाई गई जिस बारे जो भुगतान किया गया उसकी पुष्टि तथा जांच नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

वाउचर म० 16 मार्च 4195 राशि 11045 रु

मु० 11045 रु० का भुगतान श्री हरी कृष्ण डोगरा व० लिपिक को अवधि 4191 से 12194 तक के बकाया बिल निलम्बन अवधि (under suspension) का किया गया। इस भुगतान में निम्न अनियमितताएं पाई गई:

1) अंकेक्षण में नगर पंचायत के कार्यालय आदेश और कोर्ट से बहाली के आदेश उपलब्ध नहीं कराये गये। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना सं० 517 दिनांक 12.6.2001 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु से अनुरोध किया गया कि वह सम्बन्धित रिकार्ड अंकेक्षण में उपलब्ध करायें परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने तक यह रिकार्ड कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण रु० जो मु० 11045 रु का भुगतान श्री हरी कृष्ण को किया गया उसकी पूर्णतया जांच नहीं की जा सकी अतः आवश्यक रिकार्ड आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

वाउचर नं० 3 माह 12/95 राशि 1010 रु०

मु० 1020 रु० का भुगतान श्री सुधीर शर्मा कार्य पर्यवेक्षक को बाबत वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान मार्च, 1992 से दिया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई

(i) श्री सुधीर कुमार की नियुक्ति कार्य पर्यवेक्षक की गई थी अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि श्री सुधीर कुमार को वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान 1200-2100 मार्च, 92 से किस नियम के अंतर्गत दिया गया जिसको न्यायोचित ठहराया जावे अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त कर के परिषद निधि में जमा करवाई जावे।

(ii) श्री सुधीर कुमार को वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान 1200-2100 के नगर परिषद के कार्यालय आदेश भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गये जिस कारण से वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान दिया गया उसकी पुष्टि की जावे नहीं की जा सकी।

(iii) श्री सुधीर कुमार की सेवा पंजिका भी आवश्यक ... हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे।

(iv) प्राप्तकर्ता की वास्तविक प्राप्ती की रसीद भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जावे।

वाउचर नं० 27 माह 3/97 राशि 790 रु०

मुबलेग 790 रू० का भुगतान मै० बिदल इंजीनियरिंग वर्कर्स सैक्टर-1 परवाणु को बिल सं० 307 दिनांक 3.2.97 बावत ट्रैक्टर की ट्राली की मरम्मत हेतु किया इस में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :

i) श्री भीम सैन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 10.12.96 को तीन फर्मों से हस्तगत निविदाएं प्राप्त की अत: हस्तगत निविदाएं प्राप्त करने को न्यायोचित ठहराया जाये

ii) निविदा में ट्राली में ऐंगल फिक्स करने की दर 670 रू० प्रति पीस थी और ट्राली की मरम्मत में 1/4 भाग का प्रयोग किया दर्शाया गया तो देय राशि 168 रू० थी परन्तु बिल में मु० 250 रू का भुगतान दर्शाया गया इस प्रकार मु० 82.50 रू० का अधिक भुगतान किया जिसे को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाये।

iii) जो पुरानी चादर बदली गई उसका इन्द्राज डैड स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया। आवश्यक कार्य वाही की जाये।

iv) ट्रैक्टर सं० एच० पी० ए०- 8003 की उक्त खाता को लाग बुक अलग से नहीं लगाई गई जिसे अब लगाया जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

वाउचर नं० 25 माह 6/95 राशि 1305 रु

मु० 1305 रु० का भुगतान मै० विजय इलैक्ट्रीकल परवाणु को बिल नं० 353 और 363 बाबत स्लाइड ट्यूब. हीटर इत्यादि का किया गया। परन्तु जो सामान क्रय किया गया उसका इन्द्राज भंडारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और न ही निविदाएँ अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई।
बिल नं० 353 का योग 1064 रु० था परन्तु गलत गणना के कारण 1074 रु० दर्शाया गया था इस प्रकार मु० 10 रु० को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर के परिषद निधि में जमा करवाई जाये

वाउचर नं० 18 मास 12/96 राशि 2550.00 रु

मु० बिल 2550 रु० का भुगतान मै० कबीर कॉइन एप्लाई-सिज सैक्टर-1 परवाणु को बिल नं० 976 दिनांक 12-12-96 बाबत स्लाइड हीट कुनक्टर मु० 2104 रु० + सेल्स टैक्स 446. कुल 2550 रु० का किया गया परन्तु इस हीटर का इन्द्राज भंडारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया और यह हीटर कौनसी अधिकारी परवाणु को जारी किया दर्शाया गया अतः इस हीटर का इन्द्राज स्टाक भंडारण रजिस्टर में दर्शाया जाये अन्यथा इसकी राशि की वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाई जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

एन एन वाउचर नं० 1 माह 8/96 राशी 4514 रु०

नगर परिषद ने मु० 4514 रु० की निकासी चैक नं० 20540 दिनांक 1.8.96 बाबत विभिन्न बिलों की अदायगी हेतु की गई इसमें बिल नं० 107 दिनांक 28.12.95 द्वारा मु० 900 रु० का भुगतान मै० ओम लाक (तालें बनाने वाला) मेकर सैक्टर 22 डी चंडीगढ़ को बाबत चैस्ट के लाक व ताले बदलने हेतु किया गया अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि जो 900 रु० का भुगतान किया गया वह किस कर्मचारी की गलती से किया गया अतः उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके वसूली की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

बी० ओ० वाउचर नं० 28 मास 10/97 राशी 529.00 रु०

मुबलिग 529 रु० का भुगतान मै० अनुप ट्रेडर्स परवाणु को बिल नं० 40 और 41 दिनांक 8.10.97 बाबत सप्लाई गैस स्टोव मु० 486 रु० और रबड़ पाईप 43 रु० का किया गया इस भुगतान में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

(i) नगर परिषद द्वारा जो गैस स्टोव (चुल्हा) का क्रय किया गया उसका इन्द्राज भण्डारण रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसे राशी की वसूली कर के परिषद निधि में जमा करवायी जाये।

(ii) नगर परिषद द्वारा गैस-चुल्हा खरीदने को न्यायसंगत ठहराया जाये।

आवारा पशुओं को शहर से बाहर छोड़ना :-

नगर परिषद परवाणू ने निम्न व्यय आवारा पशुओं को बाहर छोड़ने का दर्शाया गया परन्तु मूल बिल परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोलन को दिनांक 31.3.97 को भेज दिये थे। अतः कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि मूल बिल परियोजना अधिकारी को भेजने का क्या औचित्य था। मूल बिल परियोजना अधिकारी को भेजने का क्या औचित्य था, अतः छायाप्रति बिलों का व्यय अंकेक्षण में मान्य नहीं है। इस की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये

वाउचर नं०	दिनांक	राशि रु	टिप्पणी
3	11/96	1350 रु	भुगतान कैंटर ओपरेटर मुनिसपल परवाणू आवारा पशुओं को परवाणू से जंगलों ले जाने का किराया ट्रक नं० CHO1-A 3054, HR-37-1118 HR.37-5193
17	11/96	3000..	— उपरोक्त — ट्रक नं० CHO1 3056, HYA 6472
6	12/96	3000.00	— उपरोक्त — CHO1.3155 HP15.0286
26	12/96	3000.00	— उपरोक्त — HR.37.1378 CHO1-3094

भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं

नगरपरिषद् परवाणु ने भिन्न-भिन्न सामान क्रय किया गया परन्तु निम्न सामान की प्रविष्टियां भण्डारण रजिस्टर में नहीं दिखाई गई। जिनका इन्द्राज आगामी अंकेक्षण में दिखाया जावे अन्यथा उस सामान के मूल्य की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगरपरिषद् निधि में शीघ्र जमा करवाई जावे। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

विवरण :-

मास	राशि	सामान का नाम	टिप्पणी
8/96	1008-95	2 टीन 43.20	मै० मदन लाल एण्ड सन्ज, परवाणु
		8 फोटो 144-00	——— यथोपरि ———
		6 बालपेन 120-00	मै० बलजीत ब्रदर्स, कालका
		1 हीटर 205-75	मै० आर० के० इलैक्ट्रानिक, परवाणु
		10.20 मी० जी० आई० 496-00 पाईप इत्यादि	मै० एन० एस० इंटरप्राजिस, परवाणु
8/96	1665-00	1 कुर्सी 1665-00	मै० क्षितिज फर्नीचर, परवाणु
8/96	1400-00	2 बक्से 45" 1400-00	मै० बी० के० इन्टरप्राजिस, परवाणु
8/96	1070-00	1 हैलोजन लाईट 680-00	मै० हिमलाईन सेल्ज कार्पो०, परवाणु
		1 टयूब राड 390-00	
8/96	292-00	1 टयूब राड 292-00 चौक, इत्यादि	——— यथोपरि ———
8/96	3232-00	15 तलवार 720-00 2 ड्रमट 180-00 4 कोलन्चे 312-00 2 पंजे 140-00 100 कि० ग्रा० 780-00	मै० जयमाला इन्टरप्राजिज परवाणु।
11/96	250-00	बांस तिल्लियां 6 कप प्लेट	मै० डिस्ट्रिक्ट एलाईड एजेन्सी, परवाणु
3/97	867-00	पानी का मीटर, साकट इत्यादि	मै० अजय ट्रेडिंग क०, सैक्टर-1 परवाणु।

निविदायें प्रस्तुत न करना

नगरपरिषद् परवाणु द्वारा भिन्न-2 सामान क्रय किया गया परन्तु अंकेक्षण में निविदायें उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके कुछ उदाहरण निम्न दिये जा रहे हैं, अतः सम्बन्धित निविदायें आगामी अंकेक्षण में दिखाई जायें।

विवरण

मास	राशि	टिप्पणी
4/95	1315-00	भुगतान मै० बलजीत वर्क्स, कालका, बाबत सप्लाई स्टेशनरी, बिल सं० 3100, दि० 3-3-95
4/95	4424-00	भुगतान मै० आर० के० ईलैक्ट्रानिक्स, सै०-1, परवाणु बाबत सप्लाई बिजली का सामान।
4/95	2710-00	भुगतान मै० अग्रवाल शण्ड को०, परवाणु, बाबत सप्लाई निर्माण सामग्री।
3/96	1044-00	भुगतान मै० हिम लाईट सेन्ज कार्पो०, परवाणु बाबत सप्लाई हैलोजैन लैम्प इत्यादि।
3/96	1037-00	भुगतान मै० बलजीत वर्क्स, कालका, बाबत सप्लाई स्टेशनरी।
3/97	1576-00	भुगतान मै० जैन लैमिनेशन, सै०-2, परवाणु बाबत सप्लाई प्लाईवुड।

उत्तर निदेशालय को अतिशीघ्र प्रस्तुत करें

35. लघु आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

36. निष्कर्ष :- लेखाओं की अत्याधिक सुधार तथा पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। पैरा नं० 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पर अतिशीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

ह०/- उप-नियंत्रक लें०प०

डी०एस०आर० कपिल
सहायक नियंत्रक लें०प०

संख्या - यू० एल० बी० एच० (ती०) -(S) - 5/93 खण्ड -2 6316
दिनांक, शिमला 25/5/02

प्रतिलिपि :

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही करते हुए निरीक्षण उत्तर निदेशालय को अतिशीघ्र प्रस्तुत करें

ह०/-
कृ०उ० उप नियंत्रक (लें०प०)
निदेशालय शहरी विकास
हि० प्र० शिमला - 2